मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में

जलप्रदाय सुधार

(मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना एवं उसकी वित्तीय व्यवस्था के प्रभावों का बड़वानी की जलप्रदाय योजना के संदर्भ में अध्ययन)

रेहमत / मकरंद पुरोहित

म॰प्र॰ के नगरीय निकायों में

जलप्रदाय सुधार

शोध – रेहमत, मकरंद पुरोहित
सहयोग – लोभीराम यादव, गौरव द्विवेदी

प्रकाशन
मंथन अध्ययन केन्द्र
दशहरा मैदान रोड़,
बड़वानी (म॰प्र॰) 451551
फोन - 07290-222857
manthan.kendra@gmail.com
www.manthan-india.org

सहयोग राशि – 10 रूपए

✍ सीमित निजी वितरण हेतु प्रकाशित इस पुस्तिका की सामग्री पर कोई कॉपीराईट नहीं है। जनहित में इसका उपयोग किए जाने और स्त्रोत का उल्लेख करने से प्रसन्नता होगी।

मंथन अध्ययन केन्द्र

संसाधनों के उपयोग एवं विकास गतिविधियों से सामाजिक न्याय, समानता, पर्यावरण सुरक्षा, मानव अधिकार और मौजूदा विकास के मॉडल की उपयोगिता पर गंभीर चिन्ताएँ पैदा हुई है। पिछले दशकों में वैश्विक तथा राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय ढाँचों में बड़े पैमाने पर किये गये बदलावों ने इन चिन्ताओं को और भी प्रासंगिक बनाया है।

जो लोग सार्वजनिक नीतियों से जुड़े कार्य कर रहे हैं उन्हें इन बदलावों को समानता, मानव अधिकार, पर्यावरण आदि की चिन्ताओं के साथ समझने की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक अधिकांश जानकारियों के स्त्रोत एवं उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों या निजी संगठनों के पास है। जनहित के लिये प्रतिबद्ध ऐसे स्वतंत्र संगठन बेहद जरूरी हैं जो उच्च गुणवत्तापूर्ण शोध एवं विश्लेषण कर सके। **मंथन** की स्थापना इसी का एक प्रयास है।

भाखड़ा–नंगल बाँध का विस्तृत मूल्यांकन, विश्व बैंक के ज्ञानदाता की भूमिका का विश्लेषण और जन–निजी भागीदारी के प्रभावों का अध्ययन आदि मंथन के अभी तक के प्रमुख कार्य है। साथ ही जल क्षेत्र में व्यवसायीकरण व निजीकरण संबंधी पड़ताल भी सतत जारी है।

विषय सूची

पारिभाषिक शब्दावली 4

प्रस्तावना 5

1. बड़वानी की जलप्रदाय व्यवस्था 7

- बड़वानी के जलस्रोत 8
- जलस्रोतों की वर्तमान दशा 9
- बड़वानी में जलप्रदाय तंत्र 11
- नर्मदा एक स्रोत के रूप में 12

2. नए जलप्रदाय तंत्र के प्रयास 14

- यूआईडीएसएसएमटी 17
- मुख्यमंत्री शहरी पयेजल योजना 20

3. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का आकल्पन 21

4. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के प्रभाव 27

- योजना की वित्तीय व्यवस्था 30

5. जलप्रदाय के तथ्य 32

- प्रति व्यक्ति जलप्रदाय 32
- पानी की कमी 34
- चौबीसों घण्टे जलप्रदाय 37

6. गैरजरूरी योजनाएँ : कुछ कारण 38

टिप्पणियाँ 43

संलग्नक

- i. UIDSSMT और CMUWSS का घटनाक्रम 48
- ii. बड़वानी की वार्डवार जनसंख्या 51
- iii. UIDSSMT और CMUWSS की तुलना 52

पारिभाषिक शब्दावली

एमएलडी मिलियन (दस लाख) लीटर प्रतिदिन।

एलपीसीडी लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (Litre per Capita per Day)

किलो लीटर एक हजार लीटर या एक घन मीटर।

ओवरहेड टेंक पानी के भण्डारण हेतु बनाई जाने वाली टंकी। इन टंकियों में संग्रहित पानी का वितरण किया जाता है।

गैर राजस्व जल लीकेज और गरीब लोगों को मुफ्त में वितरित किए जाने वाले पानी की मात्रा। गैर राजस्व जल कम करने के नाम पर आजकल सार्वजनिक नलों को बंद करवाया जा रहा है।

पीपीपी पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप या जन–निजी भागीदारी। इसके तहत ज्यादातर धन सार्वजनिक स्रोतों से लगाया जाता है लेकिन लम्बे समय तक इसका फायदा निजी कंपनियों को पहुँचाया जाता है।

राईजिंग लाईन मुख्य नलिकाएँ जिनसे स्रोत से फिल्टर प्लांट या फिल्टर प्लांट से ओवरहेड टंकियों तक पानी का परिवहन किया जाता है। इन नलिकाओं से नल कनेक्शन दिया जाना उचित नहीं समझा जाता है।

वितरण लाईन पानी वितरण करने वाली नलिकाएँ। ये ओवरहेड टंकियों से भी जुड़ी हो सकती है और राईजिंग लाईन से भी।

सम्प वेल पानी भण्डारण हेतु बनाई जाने वाली भूमिगत टंकी। यहाँ से पंप द्वारा पानी ओवरहेड टंकियों में चढ़ाया जाता है या फिर सीधे वितरण किया जाता है।

सीडीपी सिटी डेवलपमेंट प्लान या नगर विकास योजना। सरकार के निर्देश पर वर्ष 2014 तक हर नगरीय निकाय के लिए नगर विकास योजना बनाने की तैयारी है।

डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रपट या विस्तृत परियोजना रपट। किसी भी योजना निर्माण के पूर्व इस दस्तावेज को तैयार किया जाता है जिसमें योजना की आवश्यकता, उसका नियोजन, निर्माण घटक और लागत का विस्तार से उल्लेख रहता है।

CPHEEO मार्गदर्शिका केन्दीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन गठित केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संगठन (Central Public Health and Environmental Engineering Organisation). इस संगठन ने जलप्रदाय एवं जल शुद्धिकरण पर 797 पृष्ठों की एक वृहत मार्गदर्शिका प्रकाशित की है। योजना निर्माण के लिए इसी मार्गदर्शिका का आधार लिया जाता है।

UDPFI मार्गदर्शिका शहरी विकास योजना आकल्पन एवं क्रियांवयन (Urban Development Plans Formulation and Implementation) मार्गदर्शिका में जलप्रदाय सहित शहरी बुनियादी सुविधाओं हेतु मानकों का उल्लेख है।

प्रस्तावना

केन्द्र सरकार समर्थित छोटे और मझौले शहरों की अधोसंरचना विकास योजना (UIDSSMT) अब समाप्ति के दौर में है। मध्यप्रदेश ने इस योजना का लाभ लेने में अच्छा उत्साह दिखाया है। प्रदेश के 47 शहरों में 990 करोड़ की जलप्रदाय योजनाएँ स्वीकृत हैं। डबरा, देवास, मलाजखण्ड, रेहली, सनावद और सिरोंज को संपूर्ण केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हो चुका है लेकिन, क्रियांवयन के मामले में प्रदेश की लगभग सारी योजनाएँ पीछे चल रही है। शिवपुरी और खण्डवा की योजनाओं को पीपीपी में दिए जाने का स्थानीय समुदाय विरोध कर रहा है।

अब मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश की सभी नगरीय इकाईयों में मानक मात्रा में जलप्रदाय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **'मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'** की घोषणा की है। यूआईडीएसएसएमटी में पीपीपी को प्रोत्साहित करने का प्रावधान रहा है लेकिन, इस योजना में तो पहले से ही तय कर लिया गया है कि एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में पीपीपी के माध्यम से ही योजनाओं का क्रियांवयन किया जाएगा। इससे प्रदेश की पेयजल व्यवस्था में बड़े बदलाव संभावित हैं। बड़वानी में भी 'मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना' पर काम जारी है।

प्रदेश में क्रियांवित इसी प्रकार की योजनाओं पर नजर डालने पर मोटे तौर पर समझ में आया कि ये योजनाएँ नगरनिकायों की वित्तीय हैसियत से काफी बड़े बजट की है। बड़ा बजट होने के प्रमुख कारणों में जलप्रदाय के मानक बढ़ा–चढ़ा कर इस्तेमाल करना तथा स्थानीय जलस्रोतों की उपेक्षा कर दूर से पानी लाने को प्राथमिकता देना शामिल है। योजना संबंधी तकनीकी दस्तावेजों का अध्ययन कर उचित निर्णय लेने में सक्षम मानव संसाधनों की कमी भी सामने आई है। लेकिन, निजी सलाहकारी फर्मों की उपस्थिति से योजनाओं के बारे में सही निर्णय लेने की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हुई है और गैरजरूरी योजनाओं को आगे बढ़ाने के हरसंभव प्रयास किए गए हैं।

पिछले करीब 2 वर्षों से अखबारों में बड़वानी के जल संकट के बारे में खबरें छपती रही है। चूँकि बड़वानी नर्मदा किनारे से ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ के जलप्रदाय तंत्र का प्रमुख घटक पंपिंग, राईजिंग मैन पाईप लाईन और शुद्धिकरण संयंत्र एकदम नए हैं इसलिए इन खबरों की सच्चाई जानने के प्रयास से हमारी अध्ययन यात्रा शुरू हुई। पहले हमने अगस्त–सितंबर 2011 में स्थानीय शासकीय महाविद्यालय, बड़वानी के समाजकार्य विभाग के छात्रों के साथ मिलकर जलप्रदाय की समस्याएँ समझने हेतु एक प्रारंभिक सर्वेक्षण किया। नगर के एक तिहाई वार्डों के 10% परिवारों से साक्षात्कार में बहुत कम उत्तरदाताओं, जिनमें से ज्यादातर सार्वजनिक नलों पर निर्भर परिवार थे, ने ही कम दवाब से जलप्रदाय और की अपर्याप्त पानी मिलने की शिकायत की थी। इसके बाद हमने जलसंकट के 'स्थाई' समाधान के रूप में प्रस्तावित योजनाओं का अध्ययन प्रारंभ किया।

सभी पक्षों से चर्चा में बड़वानी के जल संकट के वाजिब कारण सामने नहीं आए। अध्ययन में यह तथ्य उजागर हुआ कि शहर की जरूरत से 4 गुना अधिक क्षमता का तंत्र वर्तमान में उपलब्ध है और जल कर के रूप में राजस्व वसूली काफी अच्छी है। कुल मिलाकर 20 करोड़ की एक नई जलप्रदाय योजना का औचित्य को हम समझ नहीं पा रहे हैं। चूँकि बड़वानी जैसी ही जलप्रदाय योजनाएँ प्रदेश के कई शहरों में या तो निर्माणाधीन है या फिर प्रस्तावित है। इसलिए, इस अध्ययन में प्रस्तुत तथ्य प्रदेश के कई अन्य शहरों की योजनाओं के लिए भी महत्त्वपूर्ण होंगें।

इस अध्ययन के लिए हमें नगरपालिका के जलप्रदाय विभाग का सहयोग मिला। उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों तथा संबंधितों के साथ हुई चर्चाओं से हमें जलप्रदाय तंत्र की बारीकियाँ समझने ने मदद मिली। समाजकार्य विभाग के छात्रगण लोकेन्द्र गायकवाड़, ठाकुरलाल वर्मा, राजेन्द्र राठौड़, सोनू सोलंकी, मथिल्दा भण्डोले और किरण वर्मा ने सर्वेक्षण के अपने मैदानी अनुभवों को साझा किया। जलप्रदाय के विभिन्न पहलुओं को समझने हेतु नगर के जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों से भी चर्चाएँ की। हमारे साथियों ने दस्तावेज जुटाने में मदद की और धैर्यपूर्वक रपट के प्रारूपों को पढ़कर अपनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ दी। अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित करने वाले सभी महानुभावों और सहयोगियों का मन से आभार।

बड़वानी
जनवरी 2013

(रेहमत/मकरंद पुरोहित)

बड़वानी की जलप्रदाय व्यवस्था

इतिहास में बड़वानी एक छोटी और गुमनाम सी देशी रियासत रही है। इसकी पुरानी राजधानी बड़वानी से करीब 50 किमी दक्षिण–पश्चिम स्थित अवासगढ़ थी जिसे संभवतः सत्रहवीं सदी के मध्य में चंद्रसिंह (1640–1675) ने सिद्धनगर (बड़वानी) स्थानांतरित किया। वनाच्छादित एवं पहुँचविहीन होने के कारण ही यह रियासत साम्राज्यवादी रजवाड़ों और सामंतों से लम्बे समय तक सुरक्षित रही है। मुगल सम्राट अकबर ने सन 1562 में मालवा के साथ अवासगढ़ पर भी कब्जा कर लिया था लेकिन तत्कालीन शासक परसनसिंह (प्रथम) से समझौता कर इसे पुनः आजाद कर दिया गया। बाद में अंग्रेजों ने जसवंतसिंह (1839–1880) के सुस्त प्रशासन के बहाने 1861 में रियासत को अपने कब्जे में ले लिया लेकिन, कानून–व्यवस्था बनाने की चेतावनी के साथ 1873 में रियासत वापिस लौटानी पड़ी।[1]

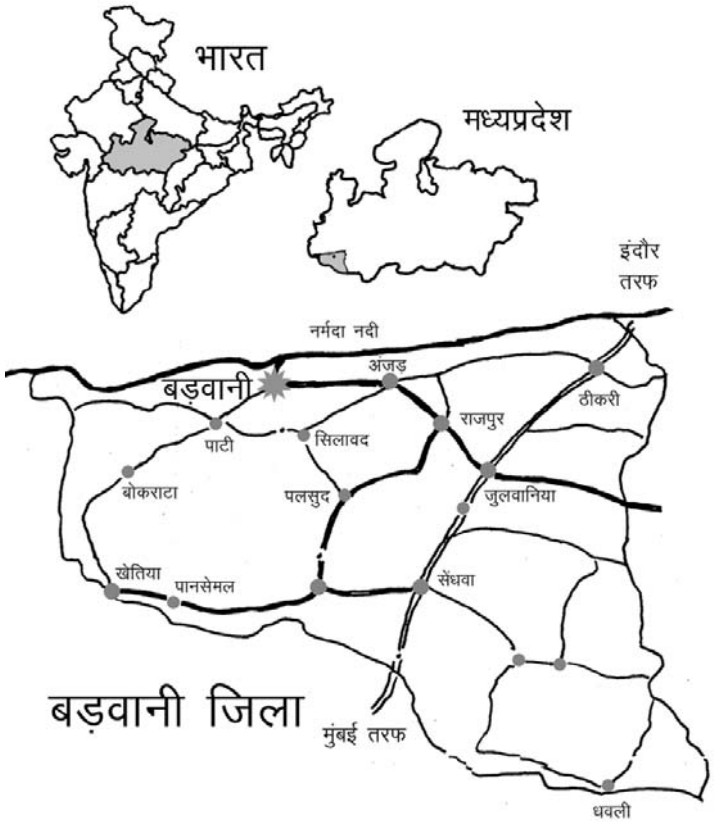

अंग्रेजी माध्यम से डेली कॉलेज (इंदौर) और मेयो कॉलेज (अजमेर) में शिक्षित रणजीतसिंह (1894–1930) प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से शामिल हुए थे जिसके कारण उनका सलामी का दर्जा बढ़ाकर 9 तोपों के बजाय 11 तोपों का कर दिया गया था। अंग्रेजों के प्रति वफादारी के कारण स्थानीय शासकों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही यहाँ आजादी की छटपटाहट कड़े आदिवासी विद्रोहों के रूप में दर्ज की गई। लेकिन, स्थानीय शासकों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इन संघर्षों का बर्बरतापूर्वक दमन किया और भीमा नायक जैसे स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को बदनाम करने हेतु उन्हें लुटेरे घोषित करवा दिया।

देश की आजादी अधिकांश रजवाड़ों को रास नहीं आई और वे बेमन से धीरे–धीरे एक के बाद एक भारतीय गणराज्य में शामिल हुए। बड़वानी भी विकल्पहीनता की स्थिति में आज़ादी से साढ़े नौ माह बाद 31 मई 1948 को देश का हिस्सा बना। विलय के बाद बड़वानी को तत्कालीन मध्यभारत प्रांत के पश्चिमी निमाड़ (खरगौन) जिले की एक तहसील बनाया गया जो 25 मई 1998 को स्वतंत्र जिला बना। बड़वानी शहर में नगरपालिका की स्थापना 1908 को हुई थी।

बड़वानी के जलस्रोत

बड़वानी क्षेत्र में पर्याप्त वन संपदा, ठीक बारिश होने तथा जलदोहन की कमी के कारण यहाँ कोई विशिष्ट जल संरक्षण परम्परा अस्तित्व में आई दिखाई नहीं देती है। शहर के बारे में भी लगभग यही स्थिति है। शहर के बीच से गुजरने वाला धोबड़िया नाला तथा शहर के पश्चिमी भाग से बहने वाला रामकुल्लेश्वर नाला इसके प्रमुख प्राकृतिक जलस्रोत रहे हैं। इन जलस्रोतों का उपयोग पीने में तो नहीं होता था लेकिन निस्तार में ये जरूर काम आते थे। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार करीब 30 वर्ष पहले तक ये नाले साल में 8-10 माह बहते रहते थे तथा इनमें 2-3 फुट तक पानी रहता था।

धोबड़िया (बड़वानी टैंक) रियासतकालीन निस्तार तालाब था। अगस्त 1972 की बारिश में इसके टूट जाने से अप्रैल 1974 में अकाल राहत के तहत इसका पुनर्निर्माण शुरू किया गया। 3,57,700 रूपए की लागत से 1976 में यह फिर से बन कर तैयार हुआ। इसकी क्षमता वृद्धि कर इससे सिंचाई का भी प्रावधान किया गया। इसका कमान क्षेत्र 300 एकड़ (200 एकड़ खरीफ तथा 100 एकड़ रबी) था। इसका केचमेंट एरिया 1.8 वर्ग मील या 4.66 वर्ग किमी है।[2] धोबड़िया से 2 किमी लम्बी नहर निकाली गई जिससे कसरावद तथा सेगाँव की 245 एकड़ (185 रबी तथा 60 एकड़ खरीफ) जमीनें सिंचित होने की बात कही गई थी।[3] पूर्ण जलाशय स्तर पर तालाब का विस्तार 36 एकड़ हो जाता था। **सागरविलास** तालाब बड़वानी के पूर्व शासक के निवास 'सागर विलास पैलेस' से लगा हुआ अंजड़ नाके के पास स्थित था। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार यह

तालाब राजमहल का हिस्सा रहा है। जल संसाधन विभाग से इसके संबंध में कोई तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध नहीं हो पाया। भले ही ये दोनों तालाब नगर को सीधे पेयजल उपलब्ध नहीं करवाते थे लेकिन इनका नगर के कुएँ और बावड़ियों के रिचार्ज में बड़ा योगदान रहा है।

पाईप से जलप्रदाय शुरू होने के पूर्व मुख्य रूप से शहर की पेयजल की जरूरत कुएँ–बावड़ियों से पूरी होती थी। बड़वानी के पुराने आबादी क्षेत्र में लगभग हर दूसरे घर में कुएँ थे। जिनके घरों में कुए नहीं थे वे सार्वजनिक कुएँ–बावड़ियों से जरूरत का पानी लेते थे।

कुवो सम्बन्धी जानकारी

क्र. 1	स्थान जहाँ स्त्रोत स्थित है। 2
1	शिव मंदिर चौराहा नवलपुरा
2	निगम सा. के मकान के पिछे
6	खरगोश चाचा के मकान के सामने
7	पुरुषोतम यादव के मकान सामने
11	लातेउ मेडम के मकान के पास
21	अनिता नमकीन वाले के मकान पिछे
26	बउके बाबु के सामने
27	प्रभु हलवाई के सामने
35	कपडिया मेडम के मकान सामने
42	बाकीर बाबु के मकान पिछे
51	मंगु मेडम के मकान के पिछे रानीपुरा

कुओं की सूची का अंश : *मुश्किल है इस सूची से कुएँ ढूँढना।*

नगरपालिका के वर्ष 2005-06 के बजट के अनुसार नगर में 140 सार्वजनिक कुएँ थे जिनमें से अब मात्र 53 कुएँ ही शेष रह गए हैं। नगर विकास योजना के पृष्ठ 42 पर तो मात्र 30 कुओं का ही उल्लेख है। नगरपालिका द्वारा संधारित सूची से कुओं की स्थिति पता करना बड़ा मुश्किल काम है। कुओं की सूची उन लोगों के लोगों के नामों से बनाई गई है जिनके घरों के निकट ये स्थित हैं।[4] यदि सूची के अनुसार कुओं को ढूँढा जाए तो पहले उन लोगों को खोजना पड़ेगा जिनके घरों के आगे या पीछे कोई कुआ हैं। इसके अलावा नगर में 61 हेण्डपम्प (51 चालू) और 9 मशीनीकृत ट्यूबवेल (6 चालू) है। बड़वानी में मासीबा की बावड़ी (शाही मस्जिद के पीछे), भूरा मारू की बावड़ी (मोटीमाता चौक) और चंपा बावड़ी (झण्डा चौक) प्रमुख थी।

जलस्रोतों की वर्तमान दशा

धोबड़िया तालाब को पीछे हटा कर शासकीय कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनियाँ बना दी गई है। वर्ष 2011 की गर्मी में जलाभिषेक अभियान के तहत शहरवासियों ने

श्रमदान कर इसकी क्षमता बढ़ाने में सहयोग दिया था लेकिन इस बढ़ी हुई क्षमता में डीआरपी, मॉडल कॉलोनी तथा ऑफिसर्स कॉलोनी में रहने वाले सरकारी सेवक निरंतर अपने घरों का गंदा पानी जमा कर रहे हैं। सरकार जलसंरक्षण का ढिंढोरा पीट रही है और उसी के आला अफसर तालाब को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे तो यह सिंचाई तालाब है लेकिन अब इसे पर्यटन स्थल बताया जा रहा है।

सागर विलास तालाब को पाट कर कुछ सालों तक इसमें खेती होती रही अब यहाँ कॉलोनी के साथ अस्पताल, दो–पहिया वाहन शोरूम, होटल तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खड़े हो रहे हैं। इस तालाब की जमीन का उपयोग बदलने के खिलाफ एक अभियान भी चलाया गया था। एक समय की शानदार बावड़ियों को खोजना अब मुश्किल हो गया है। चंपा बावड़ी जैसी पुरातात्विक धरोहर तक को तो बेच कर उसके ऊपर एक भवन खड़ा कर दिया गया है और दूसरा निर्माणाधीन है। नगरपालिका के अनुसार बहुत कम सार्वजनिक कुएँ उपयोगलायक बचे हैं। पिछले 6 वर्षों में 87 कुए गायब हो चुके है यानी हर साल 9 कुएँ गायब हो रहे हैं। इन कुओं की डकैती पर नज़र रखने वाला कोई नहीं दिखाई देता। दूसरी ओर, कई परिवार पीने के लिए अभी भी कुएँ के पानी का ही उपयोग कर रहे हैं।

शहर के मध्य से निकलने वाले धोबड़िया नाले में पानी की आवक सिर्फ बारिश के कुछ महीनों तक सीमित रह गई है। रामकुल्लेश्वर नाले में भी अब केवल बारिश के दिनों में ही पानी दिखाई देता है। 97 वर्ष की अवस्था में स्व॰ अब्दुल लतीफ बुंदेली ने अपने

धोबड़िया तालाब : *सिंचाई ढाँचे का अब पर्यटन के लिए इस्तेमाल*

पुराने दिनों को याद करते हुए कहा था ''बड़वानी में इफरात पानी था। कुओं में 7-8 फुट पर पानी आ जाता था। हमारे जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था कि पानी जैसी चीज का कभी संकट पैदा होगा।''

बड़वानी में जलप्रदाय तंत्र

बडवानी नगर का भौगोलिक क्षेत्र 6.58 वर्ग किमी या 658 हेक्टर है तथा जनसंख्या 54 हजार है।[4] बड़वानी में प्रतिदिन 40 लाख लीटर जलप्रदाय बताया जाता है।[5] जलप्रदाय हेतु कसरावद पंपिंग स्टेशन पर 100 हॉर्स पॉवर की दो मोटरें तथा नए फिल्टर प्लांट पर 125 हॉर्स पॉवर की दो मोटरें स्थापित है। इसी प्रकार राजघाट में 30 हॉर्स पॉवर की दो सबमर्सिबल मोटरें तथा पुराने फिल्टर प्लांट 100 हार्स पॉवर की एक मोटर स्थापित है।

पेयजल भण्डारण हेतु 25 लाख लीटर (10 लाख लीटर की 2 तथा 5 लाख लीटर की एक टंकी) का उल्लेख किया जाता है लेकिन रोज भरी जाने वाली कलेक्टर कार्यालय की 5 लाख लीटर की क्षमता वाली टंकी का जलप्रदाय तंत्र में कहीं उल्लेख ही नहीं किया जाता है। इनके अतिरिक्त पानवाड़ी तथा मॉडल स्कूल परिसर में 2 संपवेल भी है जिसे भण्डारण क्षमता में शामिल नहीं माना गया है।

सुखविलास कॉलोनी, नवलपुरा, रूक्मणी नगर, अमित नगर, श्रीराम नगर, बृजविहार कॉलोनी, कोली मोहल्ला, कांजी हाउस, वृंदावन कॉलोनी, महावीर नगर, पुराना हाउसिंग बोर्ड, रानीपुरा, चूना भट्टी आदि इलाकों में राईजिंग लाईन से जलप्रदाय होता है। कुछ

चंपा बावड़ी : *पहले कूड़ादान बनी अब बिक गई*

हिस्सों में टंकी और राईजिंग लाईन दोनों से एक साथ जलप्रदाय किया जाता है। एमजी रोड़ में 14 इंच लाईन है जिसे भरने के लिए काफी मात्रा में पानी लगता है। इसलिए, इस इलाके में टंकी से जलप्रदाय के साथ कोर्ट चौराहा (मुक्तानंद पान सदन के पास) से राईजिंग लाईन का 6 इंच का वाल्व खोलकर पानी मिलाना पड़ता है ताकि पर्याप्त दबाव से पानी का वितरण हो सके। लक्ष्मी टाकीज, बोहरा मोहल्ला, रानीपुरा, हरिजन मोहल्ला, दशहरा मैदान आदि में राईजिंग लाईन के साथ ट्यूबवेल का पानी मिलाते हैं। लेकिन, ट्यूबवेल से मिलने वाले पानी की मात्रा उपेक्षणीय है।

झामरिया, नवलपुरा आदि इलाकों में जलप्रदाय हेतु सीमेंट की पाईप लाईनें है। पेड़ की जड़ों से क्षतिग्रस्त होने पर इनमें कभी–कभी परेशानी होती है, लेकिन मोटे तौर पर शहर की वितरण लाईनों की स्थिति तथा प्रदाय किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता ठीक है। पानी की गुणवत्ता के बारे में नागरिकों से भी ज्यादा शिकायतें सुनने को नहीं मिली।

नर्मदा एक स्रोत के रूप में

बड़वानी शहर की पूरी जलप्रदाय व्यवस्था कुएँ–बावड़ियों पर निर्भर रही है। इन कुएँ–बावड़ियों को धोबड़िया तथा सागर विलास तालाब और स्थानीय नाले रिचार्ज करते रहते थे। लेकिन सत्तर के दशक में कुछ सालों तक सूखा पड़ा जिससे स्थानीय जलस्रोत कम पड़ने लगे थे। इसी दौरान राजघाट में मोटर पंप रखकर 6 इंच व्यास की सीमेंट पाईप लाईन डालकर बड़वानी का जलसंकट दूर किया गया। इस योजना के तहत पहले कुछ स्थानों पर सार्वजनिक टंकिया रखी गई फिर घरों में भी नल कनेक्शन दिए गए।

***नया फिल्टर प्लांट** : बड़वानी की जरूरत से 3 गुना अधिक क्षमता इस अकेले संयंत्र की है।*

बाद में जरूरत पड़ने पर रणजीत चौक में नाले के पास (संगीत सरिता के पास) वाले कुएँ पर टंकी बनाकर वहाँ से भी जलप्रदाय आवर्धन किया गया। पाईप से मिलने वाले पानी के कारण समुदाय कुएँ–बावड़ियों की उपेक्षा करने लगा जिससे बाहरी स्रोतों पर निर्भरता बढ़ने लगी। कुछ वर्षों में यह योजना नाकाफी हुई।

1977 में चिखल्दा में पंपिंग स्टेशन बनाकर एक बड़ी जलप्रदाय योजना शुरू की गई। इस योजना के फिल्टर प्लांट (राजघाट रोड़) की क्षमता 49 लाख लीटर प्रतिदिन है। यह योजना सुचारू रूप से संचालित होती रही। इसी दौरान नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (नघाविप्रा) ने सरदार सरोवर परियोजना से डूबने वाली इस जलप्रदाय योजना के बदले नया पंपिंग स्टेशन (कसरावद), 1 करोड़ 4 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का फिल्टर प्लांट (कसरावद बसाहट) और शहर तक नई पाईपलाईन डाल कर एक तरह से नया जलप्रदाय तंत्र तैयार कर दिया। इस योजना से जनवरी 2008 से जलप्रदाय प्रारंभ कर दिया गया।

हालांकि 49 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के पुराने जलप्रदाय तंत्र से भी वर्ष 2008 के प्रारंभ तक पर्याप्त आपूर्ति हो रही थी।[6] नघाविप्रा द्वारा तैयार 1 करोड़ 4 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का नया तंत्र काम करने लगा तो 49 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के पुराने तंत्र को बंद कर दिया गया। लेकिन, मुश्किल से 2 वर्ष भी नहीं बीते कि नया तंत्र कम पड़ने लगा और दिसंबर 2011 में 49 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का पुराना संयंत्र फिर से चालू करना पड़ा। अब तो दोनों ही तंत्र एक साथ चल रहे है फिर भी जल संकट बता कर पहले UIDSSMT पर और अब मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। नर्मदा से ज्यादा से ज्यादा पानी लेने के चक्कर में स्थानीय जलस्रोतों को भुला दिया गया है। पिछले डेढ़ दशक से प्रदेश में जोर–शोर से जलसंरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद शहर के जलप्रदाय के लिए नर्मदा के अलावा किसी अन्य विकल्प पर विचार तक नहीं किया गया है।

❑

नए जलप्रदाय तंत्र के प्रयास

बड़े शहरों में शहरी बुनियादी ढाँचे में नियोजित तरीके से सुधार हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 2005 में जवाहरलाल शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) नामक एक बड़ी योजना प्रारंभ की गई। ''छोटे तथा मझौले शहरों की अधोसंरचना विकास योजना' (UIDSSMT) भी इसी के तहत आती है। इन योजनाओं की पूर्व तैयारी के रूप में नगर विकास योजना (CDP) तैयार करवाई जाती है। सीडीपी में नगर की अगले 30 वर्षों की जरूरत के हिसाब से बुनियादी ढाँचा विकास तथा उसके लिए वित्त प्रबंधन की योजनाएँ शामिल होती है।[7] यही काम नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग द्वारा बनाए गए शहरों के मास्टर प्लान के माध्यम से किया जाता रहा है।

मध्यप्रदेश में नगरीकरण की दर राष्ट्रीय औसत 28% के बराबर है जो अगले 15 वर्षों में बढ़कर 30% हो जाएगी। ऐसी स्थिति में इस केंद्रीय योजना का लाभ लेने हेतु राज्य स्तर पर प्रयास शुरू किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के संपूर्ण 360 नगरीय निकायों[8] की सीडीपी तैयार करने हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2013–14 तक के लिए 23 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।[9] 50 हजार से 30 लाख की आबादी वाले नगरों की नगर विकास योजना (सीडीपी) बनाने हेतु जुलाई 2009 में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अभिरूचि का आमंत्रण (Request for Proposal) जारी कर 38 फर्मों को 96 शहरों की सीडीपी तैयार करने का ठेका दिया गया था। बड़वानी की सीडीपी इंदौर की सलाहकारी फर्म इको–प्रो–इंवायरनमेंट द्वारा तैयार की गई जिसके बदले फर्म को 15 लाख रूपए का भुगतान किया गया।

सीडीपी में जलप्रदाय, जल मलनिकास, तूफानी जल निकास, स्वच्छता, परिवहन, गरीबों के लिए आवास निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ नगरीय अभिशासन हेतु निवेश योजना (सिटी इन्वेस्टमेंट प्लान) भी तैयार की जानी थी। लेकिन, निवेश योजना पर सलाहकारी फर्म ने बहुत ही कम ध्यान दिया है और उसकी सिफारिशें एक ही ढर्रे

की है। हर मर्ज का एक ही इलाज–सेवाओं को पीपीपी के तहत निजी कंपनियों का सौंपा जाए।

बड़वानी में जल उपलब्धता

अ.क्र.	स्रोत का नाम	क्षमता (MLD)
1.	नया फिल्टर प्लांट	10.4
2.	पुराना फिल्टर प्लांट	04.9
3.	कुएँ और हेण्डपम्प	00.12
	योग	**15.42**

स्रोत–सीडीपी की तालिका क्र॰ *5.1.1,* पृष्ठ *39* एवं नगरपालिका से प्राप्त जानकारी।

सीडीपी निर्माण का कार्य स्थानीय जरूरत के हिसाब से नहीं हुआ है। इसके लिए स्थानीय निकायों से न तो कोई सलाह ली गई और न ही उनकी अपेक्षाएँ पूछी गई। स्थानीय निकायों ने भी इस पर कोई सवाल किए बगैर उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन किया। बड़वानी की सीडीपी तैयार हो जाने के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा इसे स्वीकृत करने का निर्देश (वास्तव में आदेश)[10] नगरपालिका को दिया गया था जिसे बड़वानी नगरपालिका ने 22 फरवरी 2011 को शिरोधार्य कर लिया। जिस समय नगरपालिका ने सीडीपी स्वीकार करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया उस समय निर्वाचित परिषद अस्तित्व में नहीं थी।[11]

अपने आपको कुशल (?) व्यावसायिक बताने वाले सलाहकारों द्वारा तैयार सीडीपी में बड़ी तथ्यात्मक रूप से बड़ी गलतियाँ है। सीडीपी बनाने वाली फर्म ने शहर की जलप्रदाय व्यवस्था के बारे में निम्न आधारहीन तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं –

1. पंपिंग स्टेशन से शहर तक लाईन में कई लीकेज हैं (पृष्ठ-III)

पंपिंग स्टेशन (कसरावद) से फिल्टर प्लांट (कसरावद बसाहट) तक तथा फिल्टर प्लांट से ओवरहेड टंकियों तक एनवीडीए द्वारा नई पाईपलाईन डाली गई है जिसे 2008 में चालू किया गया है। CPHEEO दिशानिर्देशों के अनुसार पाईप लाईनों का जीवन काल कम से कम 30 वर्ष तथा विद्युत पंपों 15 वर्ष होता है। हमारे निरीक्षण में भी लाईन में किसी तरह का लीकेज नहीं पाया गया।

2. क्षेत्र में बिजली बहुत कम है (पृष्ठ-III)

पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट को एक्सप्रेस लाईन से बिजली मिलती है। यह लाईन विद्युत कटौती से मुक्त है।

3. पानी की माँग 135 एलपीसीडी के हिसाब से (तालिका 5.7.1)

बड़वानी जैसे छोटे कस्बों के लिए 135 एलपीसीडी के हिसाब से गणना करना सही

नहीं है। यह योजना की लागत बढ़ाने का एक सोचा–समझा और प्रचलित तरीका है। सलाहकार योजना लागत के आधार पर अपनी फीस लेते हैं। योजना की लागत जितनी ज्यादा होगी उनकी फीस भी उतनी ही ज्यादा होगी। CPHEEO दिशानिर्देशों के अनुसार जिन कस्बों में भूमिगत सीवर नहीं हैं उनके लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 70 लीटर पानी की आपूर्ति ही आवश्यक होती है। इस प्रकार सलाहकार द्वारा आकलित पानी की माँग (75 लाख लीटर) शहर की वर्तमान वास्तविक जरूरत के दुगने से अधिक है।

4. बड़ी संख्या में अनाधिकृत एवं सार्वजनिक कनेक्शन (टेबल 7.10)

नगरपालिका के प्रस्ताव दिनांक 4 फरवरी 2005 के अनुसार बड़वानी में 24 में से 16 वार्ड बुनियादी सुविधाओं रहित मलिन बस्ती (स्लम) की श्रेणी के हैं। बड़वानी की 70% आबादी स्लम में निवास करती है लेकिन इसके बावजूद बड़वानी में 70% परिवारों के पास अपने नल कनेक्शन है। रिकार्ड के अनुसार कस्बे में 468 सार्वजनिक नल हैं। नगरपालिका के पास अनाधिकृत कनेक्शनों का कोई आँकड़ा नहीं है।

5. विरोधाभाषी आँकड़े

भारी भरकम फीस वसूलने के बावजूद फर्म का काम स्तरीय नहीं है। सीडीपी में आँकड़ों की कई बड़ी गलतियाँ की गई है। कहीं जिले का भौगोलिक क्षेत्र 5422 वर्ग किमी तो कहीं 3665 वर्ग किमी लिखा गया है। इसी प्रकार शहर का भौगोलिक क्षेत्र कहीं 28.66 वर्ग किमी तो कहीं 6.56 वर्ग किमी लिखा है। भू–उपयोग का प्रतिशत कहीं शहर के राजस्व क्षेत्र से निकाला गया है तो कहीं नगरपालिका क्षेत्र से।

इसके अतिरिक्त सीडीपी में ऐसे कस्बे में जलप्रदाय तथा मलनिकास के निजीकरण की वकालत कर दी है जहाँ की 70% आबादी मलिन बस्तियों में निवास करती है। जल दरें शहर की जरूरत के हिसाब से संशोधित करने, जलप्रदाय की पूर्ण लागत वसूली तथा अपशिष्ठ प्रबंधन की संचालन–संधारण लागत भी वसूलने की भी अनुशंसा की गई है।

सीडीपी में एक ओर तो बड़वानी की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख योगदान बताया गया है लेकिन दूसरी ओर शहर से मवेशियों को दूर स्थानांतरित किए जाने या मवेशियों पर लायसेंस शुल्क लगाए जाने की अजीब सी अनुशंसा की गई है। यह तर्क समझ से परे हैं। सिरवी मोहल्ला, नवलपुरा, सोरठ मोहल्ला, सेगाँव, माली मोहल्ला आदि में किसानों की आबादी बहुतायत में है। वे अपने पशुओं को लेकर कहाँ जाएँगें? यदि वे अपने

पशुओं के पुनर्वास हेतु तैयार न हो तो किसान या पशुपालक होने के लिए उन्हें टेक्स लगा कर दण्डित किया जाएगा?

हालांकि सीडीपी निर्माण हेतु जन सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से शहर के प्रबुद्ध नागरिकों की संचालन समिति[12] बनाकर उनसे विचार–विमर्श भी किया गया। समिति सदस्यों की अपेक्षाओं में कहीं भी निजीकरण का समर्थन स्पष्ट नहीं हुआ। बाद में हमने संचालन समिति के कुछ सदस्यों से पुनः अलग से भी चर्चा की लेकिन, उनमें से किसी ने पानी के निजीकरण का समर्थन नहीं किया। फिर किस आधार पर सलाहकार फर्म ने जन–निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से पानी के निजीकरण की वकालत कर दी?

तथ्यात्मक गलतियाँ होने का एक बड़ा कारण सीडीपी का थोक में निर्माण है। छोटे नगरनिकायों के स्तर पर ऐसे मानव संसाधन का सर्वथा अभाव है जो इन दस्तावेजों का अध्ययन कर उन पर अपने सुझाव दे पाने की स्थिति में हों। जिस उच्च स्तर पर थोक में ये दस्तावेज तैयार करवाए गए वहाँ भी इनकी गुणवत्ता और तथ्यों पर नज़र रखने वाला तंत्र मौजूद नहीं था। सरकार की इसी कमजोरी का सलाहकारी फर्मों ने फायदा उठाते हुए सीडीपी निर्माण को हल्के ढंग से लिया तथा ''कॉपी–पेस्ट'' कमाण्ड का पूरी आजादी से उपयोग करते हुए अमानक दस्तावेज तैयार किए। शायद इसीलिए एक शहर की योजना के वाक्य दूसरे शहर की योजना में भी हूबहू पाए जाते हैं। निजीकरण का समर्थन कर फर्म ने एक प्रकार से सरकारी धन से निजी कंपनियों की कंसलटेंसी कर दी। इसके बावजूद फर्म को अपनी फीस प्राप्त करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई।

यूआईडीएसएसएमटी

जब नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा 1 करोड़ 4 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के जलप्रदाय तंत्र[13] का निर्माण किया जा रहा था और अगले एक वर्ष में यह तंत्र तैयार होना निश्चित था तभी अगस्त 2006 से नगरपालिका ने एक समानांतर योजना ''छोटे तथा मझौले शहरों की अधोसंरचना विकास योजना' पर काम प्रारंभ कर दिया था। केन्द्र सरकार समर्थित इस योजना के लिए आवश्यक निवेश का 80% तथा 10% हिस्सा क्रमशः केन्द्र और राज्य सरकारों से अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। शेष 10% राशि संबंधित नगरनिकाय को जुटानी होती है।

UIDSSMT में प्रदेश के स्थानीय निकायों की रूचि अपेक्षा से अधिक रही हैं। जून

2012 की स्थिति में मध्यप्रदेश के 50 शहरों में 1231 करोड़ रूपए की लागत वाली 68 परियोजनाएँ संचालित है। इनमें से 990 करोड़ रूपए की लागत वाली 47 शहरों की परियोजनाएँ पानी से संबंधित है।

वर्ष 2037-38 की शहर की जनसंख्या के लिए 5 करोड़ 54 लाख की इस जलप्रदाय आवर्धन योजना को तैयार करने का ठेका 28 अगस्त 2006 को इंदौर की सलाहकारी फर्म 'बड़जात्या एण्ड एसोसिएट्स' को योजना लागत के 1.24% यानी 6 लाख 87 हजार रूपए में दिया गया था। योजना में पाईप लाईन के अलावा कसरावद स्थित पंपिंग स्टेशन पर 3 नए पम्प लगाना, 1 करोड़ 55 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का फिल्टर प्लांट बनाना, 30 लाख लीटर क्षमता की 3 नई टंकियाँ बनाना और 3 किमी वितरण लाईनें बिछाना प्रस्तावित था। ध्यान रहे कि नघाविप्रा द्वारा निर्माणाधीन योजना में भी लगभग यही घटक थे और इस योजना से जनवरी 2008 में पेयजल प्रदाय प्रारंभ हो जाने के बाद भी UIDSSMT पर समानांतर रूप से कार्य जारी रखा गया। इस बात का जवाब अब भी किसी के पास नहीं है कि एक कस्बे के लिए एक साथ दो पेयजल योजनाओ पर काम क्यों जारी था।

जब नघाविप्रा की योजना से जलप्रदाय प्रारंभ हुआ ठीक उसी समय जनवरी 2008 में UIDSSMT की विस्तृत परियोजना रपट (डीपीआर) का पहला प्रारूप तैयार हुआ जिसमें जून 2008 में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा कुछ कमियाँ बताई गई थी। लेकिन इन कमियों को पूरा करने का दिसंबर 2011 तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया और अंत में नगरपालिका ने सलाहकार को चेतावनी देकर इस योजना को एकतरफा खत्म कर दिया।[14]

यूआईडीएसएसएमटी का घोषित उद्देश्य स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बना कर उन्हें पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) या जन–निजी–भागीदारी को आकर्षित करने योग्य बनाना है। पीपीपी एक प्रकार का निजीकरण है जिसमें अधिकांश निवेश सरकारी होता है और सिर्फ प्रबंधन के नाम पर निजी कंपनियाँ दशकों तक मोटी कमाई करती है। इसके तहत मिलने वाले अनुदान अपेक्षा से कहीं बड़े होते हैं जिसके कारण स्थानीय स्तर पर उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। शायद इसी वजह से इस परियोजना को बड़वानी में भी आगे बढ़ाया जा रहा था।

बड़ी लागत की योजनाएँ होने के कारण इसकी अंशदान राशि भी स्थानीय निकायों

के लिए काफी बड़ी होती है। उदाहरण के लिए 30 करोड़ के सालाना बजट वाले खण्डवा (म॰प्र॰) के नगरनिगम की क्षमता 116 करोड़ की पेयजल योजना के लिए 10% अंशदान वहन करने की नहीं थी। इसलिए इस अंशदान राशि के लिए ही पूरे शहर की जलप्रदाय व्यवस्था एक निजी कंपनी 'विश्वा यूटिलीटिज एण्ड सर्विसेस लिमिटेड' को 25 वर्षों के लिए सौंप दी गई। निजीकरण की जनविरोधी शर्तों का अब वहाँ कड़ा विरोध हो रहा है।

यूआईडीएसएसएमटी के तहत माँग के अनुसार धन आसानी से उपलब्ध होने के कारण स्थानीय निकायों का रूझान अधिक लागत वाली योजनाओं तथा निजीकरण की तरफ है। ऐसे निर्णयों को सलाहकारी फर्में पूरी से तरह से प्रभावित करती हैं। यूआईडीएसएसएमटी के बहाने ही बड़वानी में भी पानी के निजीकरण की जमीन तैयार करने का यह पहला प्रयास था।

बड़वानी की UIDSSMT में 18 सितंबर 2008 के बाद न तो कोई प्रगति हुई और न ही नगरपालिका और सलाहकार के मध्य कोई पत्र–व्यवहार हुआ। लेकिन, नगरपालिका को भोपाल की सलाहकार फर्म 'वास्तुशिल्पी प्रोजेक्टस एण्ड कंसलटेंट्स प्रा॰ लिमि॰' के माध्यम से

पीपीपी

विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी निजीकरण की पोषक एजेंसियों ने पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल अपनाने हेतु तीसरी दुनिया के देशों पर दबाव डाला। हमारी सरकार ने देश की विकास दर में बढ़ोत्तरी के लिए बुनियादी ढाँचे में बड़े निवेश की जरूरत और और सार्वजनिक धन की कमी का कारण बताते हुए पीपीपी का मॉडल प्रस्तुत किया। पीपीपी निजीकरण का ऐसा मॉडल है जिसके तहत पूँजी निवेश निजी कंपनियाँ नहीं बल्कि सरकार स्वयं करती है और बगैर किसी राजनैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी और वित्तीय जोखिम के लंबे समय के लिए निजी कंपनियों को सुनिश्चित कमाई का अधिकार दे देती है।

पीपीपी एक व्यापक शब्दावली है जिसमें निर्माण, संचालन और संधारण, प्रबंधन अनुबंध, सेवा अनुबंध, ठेकेदारी आदि कुछ भी हो सकता है लेकिन, इसमें भागीदारी जैसा कुछ भी नहीं है। सरकार और सेवा प्रदाता कंपनी के बीच अनुबंध में उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क के भुगतान की शर्त होती है। किसी वर्ग के उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में सरकार सेवा प्रदाता कंपनी को अनुदान दे देती है। पानी के क्षेत्र की प्रमुख पीपीपी परियोजनाओं में विशाखपत्तनम, खण्डवा, देवास, तिरूपुर, आदि शामिल हैं। अगले वर्ष से बड़वानीवासियों को भी इसका अनुभव होने जाने की संभावना है।

जैसे ही मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के नाम पर 25 करोड़ रूपए की स्वीकृति की सूचना मिली उसी क्षण साढ़े पाँच करोड़ की यूआईडीएसएसएमटी योजना में नगरपालिका की रूचि खत्म हो गई। सलाहकार फर्म ने अपने पत्र दिनांक 17 दिसंबर 2011 के माध्यम से यह सूचना नगरपालिका को भिजवाई थी।[15] संभव है फर्म ने अन्य तरीकों से भी नगरपालिका से संपर्क किया हो। इसलिए, नगरपालिका ने बगैर देरी किए 19 दिसंबर 2011 को ही यूआईडीएसएसएमटी के सलाहकार को पत्र लिखकर उसके साथ हुआ डीपीआर निर्माण संबंधी अनुबंध अपनी ओर से रद्द करने की एकतरफा घोषणा कर दी।[16] याद रहे कि नगरपालिका को मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के संबंध में अधिकृत सूचना नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के पत्र 2 जनवरी 2012 के माध्यम से 4 जनवरी 2012 को प्राप्त हुई। वास्तविक रूप से योजना की नोटशीट इस दिन से प्रारंभ हुई लेकिन परियोजना के बारे में निर्णय दो सप्ताह पहले ही लिया जा चुका था।

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

नगरीय क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में 23 नवंबर 2011 को भोपाल में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की एक समीक्षा मीटिंग हुई थी। मीटिंग में पेयजल हेतु विभागीय बजट से वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने पर चर्चा हुई थी। विभाग के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर तब 493 करोड़ रूपए लागत की 37 नगरों की पेयजल योजनाएँ प्रस्तावित की गई थी जिन्हें बाद में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना (CMUWSS) कहा गया। इन्हें वित्तीय वर्ष 2013-14 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया। बड़वानी की योजना भी इसमें शामिल थी।

❑

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का आकल्पन

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के तहत (1) मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल, (2) ग्रीष्म ऋतु में अधिक अंतराल से जलप्रदाय करने वाले, (3) जलप्रदाय योजनाविहीन तथा (4) कम क्षेत्र तथा औसत से कम मात्रा में जलप्रदाय करने वाले जिला मुख्यालयों के निकायों को प्राथमिकता दी गई। लेकिन बड़वानी को इनमें से किस आधार के तहत इस योजना में शामिल किया गया यह समझ से परे हैं।

इस योजना में पहले 50 हजार से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकायों के लिए योजना लागत का 10% तथा शेष नगरनिकायों के लिए 20% अंशदान लिए जाने का प्रावधान किया गया था। जिस समय बड़वानी नगरपालिका के सालाना बजट से 3 गुना बड़ी 'मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना' के भारी–भरकम अंशदान का निर्णय लिया जाना था तब निर्वाचित परिषद अस्तित्व में नहीं थी इसलिए नगरपालिका की प्रभारी अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने ही 5 जनवरी 2012 को संकल्प पारित कर शासन को बड़ी आसानी से यह विश्वास दिलवा दिया कि 20 करोड़ की योजना के लिए 6 करोड़ के सालाना बजट वाली नगरपालिका अपनी तरफ से 4 करोड़ रूपए का योगदान दे देगी। संकल्प में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि नगरपालिका अपनी अंशराशि की व्यवस्था कैसे करेगी। अधिकारी स्तर पर लिए गए इस निर्णय के औचित्य या नगरपालिका की आर्थिक स्थिति पर उच्चाधिकारियों ने कोई सवाल नहीं किया।

बड़वानी की वर्तमान जनसंख्या 54,000 और परिवारों की संख्या 10,400 है।[17] कस्बे की वर्ष 2042 की संभावित जनसंख्या 84,000 के हिसाब से 1 करोड़ 13 लाख लीटर/दिन (11.34 एमएलडी) क्षमता के पंपिंग स्टेशन और जलशोधन संयत्र डिजाईन किए गए हैं। पहले चरण वर्ष 2027 तक के लिए 92 लाख लीटर प्रतिदिन (9.18 एमएलडी) क्षमता के विद्युत पंप स्थापित जाएँगें। यदि यह योजना शुरू

प्रति व्यक्ति अनुशंसित पानी की मात्रा

अ॰ क्र॰	कस्बों/शहरों का वर्गीकरण	अधिकतम अनुशंसित जलप्रदाय LPCD
1.	कस्बे जहाँ मलनिकास प्रणाली नहीं है	70
2.	नगर जहाँ मलनिकास प्रणाली है या प्रस्तावित है	135
3.	महानगर जहाँ मलनिकास प्रणाली है या प्रस्तावित है	150

Source - Table 2.1 of CPHEEO guidelines, 1999

होती है तो पहले दिन से ही इससे कस्बे को 168 एलपीसीडी यानी बड़वानी जैसे कस्बे के मानक से करीब ढाई गुना और महानगरों से भी अधिक पानी मिलने लगेगा। यह बात अलग है कि पानी कीमत भी वैसी ही चुकानी पड़ेगी।

बड़वानी के लिए पानी की जरूरत की गणना केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संगठन (CPHEEO) के दिशानिर्देशों का हवाला देकर 135 एलपीसीडी के हिसाब से की गई है। CPHEEO दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे कस्बों, जहाँ भूमिगत मलनिकास प्रणाली नहीं है, में जलप्रदाय का मानक मात्र 70 एलपीसीडी ही होता है। 135 एलपीसीडी का मानक उन शहरों के लिए हैं जहाँ भूमिगत मलनिकास प्रणाली मौजूद होती है। मलनिकास प्रणाली को अवरूद्ध होने से बचाने हेतु जलप्रदाय के मानक ऊँचे रखे जाते हैं। इसी प्रकार CPHEEO दिशानिर्देशों के अनुसार बगैर नल कनेक्शन के गरीब बस्तियों में रहने वालों के लिए मानक जलप्रदाय 40 एलपीसीडी ही है।

पानी की जरूरत की गणना करने हेतु शहरी विकास योजना आकल्पन एवं क्रियांवयन (UDPFI) मार्गदर्शिका के दिशानिर्देश के भी है जिसके अनुसार एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में 100 एलपीसीडी जलप्रदाय पर्याप्त होता है।

इस योजना के प्रति बड़वानी नगरपालिका द्वारा दिखाया गया उत्साह आश्चर्यजनक है। UIDSSMT की विस्तृत योजना रपट साढ़े पाँच सालों (देखें संलग्न क्र॰-1) में भी पूरा नहीं करवा पाने वाली नगरपालिका ने इस योजना का डीपीआर मात्र 2 सप्ताह में तैयार करवा कर इसकी तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृतियाँ भी प्राप्त कर ली है। अब बेसब्री से इस योजना के शुरू होने की प्रतीक्षा की जा रही है। योजना के प्रति अपार उत्साह का एक कारण इसका बड़ा बजट भी है।

योजना के DPR निर्माण तथा निर्माण कार्यों पर निगरानी का ठेका भोपाल की सलाहकारी फर्म 'वास्तुशिल्पी प्रोजेक्ट एण्ड कंसलटेंट्स प्रा॰ लिमिटेड' को परियोजना लागत के 1% यानी 19 लाख 90 हजार में दिया गया है। योजना हेतु राज्य शासन ने 25 करोड़ रूपए का प्रावधान किया था लेकिन सलाहकार ने पूरी परियोजना का आंकलन 19 करोड़ 90 लाख 50 हजार रूपए का ही किया है। परियोजना को उचित और अत्यंत आवश्यक ठहराने हेतु असत्य एवं आधारहीन तथ्यों का सहारा लिया गया है। DPR में बड़वानी के जलप्रदाय को असंतोषजनक बताते हुए इस बात का डर दिखलाया गया है कि जनसंख्या बढ़ने से स्थिति और भी खराब हो जाएगी। कुछ ऐसे ही आधारहीन तथ्यों की बानगियाँ प्रस्तुत है –

1. शहर में 30 लीटर/व्यक्ति/दिन से भी कम जल उपलब्धता

भारत सरकार के 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप प्रदेश शासन द्वारा 109 नगर पालिकाओं और नगरनिगमों के सर्विस लेवल बैंचमार्क, दिनांक 27 जनवरी 2011 को जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार बड़वानी में 80 लीटर/व्यक्ति/दिन जलप्रदाय हो रहा है। यह आँकड़ा CPHEEO मानकों से अधिक होकर बड़वानी में जलप्रदाय की बेहतर स्थिति दर्शाता है। प्रदेश के केवल 20 शहरों में ही बड़वानी की अपेक्षा अधिक जलप्रदाय होता है। 135 लीटर/व्यक्ति/दिन के मानक पर प्रदेश के सिर्फ 2 शहर भोपाल और रीवा ही खरे उतरते हैं।

2. वितरण नेटवर्क की कमी

पिछले 10 वर्षों में बड़वानी का काफी विस्तार हुआ है, नई कॉलोनियाँ अस्तित्व में आई है। लेकिन, इसके बावजूद नगरपालिका के अपने दस्तावेज ही इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि शहर के 80% हिस्से तक वितरण लाईनों का विस्तार किया जा चुका है।

3. भण्डारण क्षमता की कमी

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के डीपीआर में गणना कर कुल जलप्रदाय की अपेक्षा एक तिहाई भण्डारण को आवश्यक बताया गया है। डीपीआर में वर्ष 2042 की जरूरत 1 करोड़ 13 लाख लीटर प्रतिदिन पानी के लिए 40 लाख लीटर की भण्डारण क्षमता पर्याप्त मानी गई है।

यदि इसी डीपीआर के अनुसार बड़वानी में वर्तमान जलप्रदाय 30 लीटर/व्यक्ति/दिन को सही मान लिया जाए तो 54 हजार की जनसंख्या के लिए 16.50 लाख लीटर

प्रतिदिन जलप्रदाय होता है जिसके लिए मात्र साढ़े 5 लाख लीटर की भण्डारण क्षमता पर्याप्त है। जबकि वर्तमान में बड़वानी में 30 लाख लीटर क्षमता की ओवरहेड टेंक और सम्पवेल मौजूद है। यदि सलाहकार के आँकड़ों पर विश्वास किया जाए तो बड़वानी की ओवरहेड टंकियों में एक बार संग्रहित पानी पूरे नगर में 2 दिनों तक वितरित जा सकता है।

वर्तमान भण्डारण क्षमता से 90 लाख लीटर तक जलप्रदाय प्रतिदिन किया जा सकता है। जलप्रदाय व्यवस्था को दयनीय बताए जाने का कारण नई योजना को गलत तथ्यों से न्यायोचित ठहराया जाना प्रतीत होता है।

4. कम जलप्रदाय के कारण लोग अत्यधिक उत्तेजित

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के डीपीआर में बड़वानी में भयंकर जल संकट का उल्लेख किया गया है। इस तथ्य की पड़ताल के लिए हमने बड़वानी नगरपालिका से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पिछले 10 वर्षों में नागरिकों द्वारा नगरपालिका को प्रस्तुत आवेदन–पत्रों/ज्ञापनों की प्रतिलिपियाँ माँगी थी। जल संकट के संबंध में हमें नागरिकों के 5 ज्ञापनों की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करवाई गई। लेकिन इनमें से कोई भी ज्ञापन जलसंकट से संबंधित नहीं था तथा सभी ज्ञापन जलप्रदाय में प्रबंधन की समस्याओं से संबंधित थे। उपलब्ध करवाए गए ज्ञापनों में से एक जलप्रदाय का समय बदलने, दूसरा जलप्रदाय की पूर्ववत व्यवस्था लागू करने, तीसरा दबाव की कमी, चौथा मैदानी कर्मचारी द्वारा कम समय जलप्रदाय करने, तथा पाँचवा गलत वितरण लाईन डालने संबंधी था।

कृत्रिम जलसंकट : *नवलपुरा में सार्वजनिक नलों की कमी के कारण पानी माँगने की मजबूरी*

मौसम के हिसाब से देखें तो इन पाँच ज्ञापनों में से गलत वितरण लाईन डालने संबंधी एक आवेदन–पत्र ही ग्रीष्म (जून 2004) में प्राप्त हुआ था शेष सभी ज्ञापन अन्य मौसमों में प्रस्तुत किए गए थे। वर्ष के हिसाब से देखें तो वर्ष 2002, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010 और 2011 में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। यानी 10 में से 7 वर्षों में नागरिकों की जलप्रदाय के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। अखबारों में जरूर जल संकट से संबंधित समाचार प्रकाशित होते रहते हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर गरीब बस्तियों से संबंधित होते है जो सार्वजनिक नलों पर निर्भर है। कुछ खबरें तो प्रकाशित करवाई जाती है।

5. लीकेज ज्यादा

लीकेज के कोई आँकड़े नगरपालिका के पास नहीं है। सूचना का अधिकार के तहत जानकारी माँगने पर बताया गया कि नगरपालिका में इस तरह को कोई रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है।

निविदा की शर्त के अनुसार सलाहकार फर्म को सारे आँकड़े नगरपालिका ने उपलब्ध करवाए थे। यदि नगरपालिका के पास ही लीकेज के कोई आँकड़े नहीं है तो फिर सलाहकार को यह कैसे पता चल गया कि बड़वानी में लीकेज अधिक है?

6. सार्वजनिक नलों की अधिकता

वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगरपालिका ने शहर में 10,400 परिवारों का आँकड़ा मान्य किया है जिनमें से 7,100 परिवारों के पास घरेलू नल हैं। शेष 3,300 परिवारों के लिए 468 सार्वजनिक नल है। इस प्रकार करीब 7 परिवारों के बीच एक सार्वजनिक नल है जो वास्तविक जरूरत से काफी कम हैं।

नगरपालिका के मैदानी अमले के अनुसार करीब आधे सार्वजनिक नलों पर कब्जे हो चुके हैं यानी वे अब सार्वजनिक नल नहीं रहे। इसी कारण सार्वजनिक नलों पर ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। मंथन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में शहर के 36 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उन्हें सार्वजनिक नलों से पानी भरने के लिए 200 मीटर से 500 मीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है।[18] सार्वजनिक नलों से कब्जा हटाने के बारे में नगरपालिका ने फरवरी 2005 में एक प्रस्ताव पास किया था लेकिन इस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई।

7. वर्तमान जलदरें

डीपीआर में वर्तमान जलदरें घरेलू और गैरघरेलू उपभोक्ताओं के लिए क्रमशः 40 और 80 रूपए/माह दर्शाई गई है लेकिन वास्तव में ये दरें 80 और 150 रूपए/माह है। कम राजस्व दिखाने हेतु संभवतः दरों से संबंधित गलत आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। कॉलोनियों में घरेलू जलप्रदाय 100 रूपए/माह है।

8. स्थानीय निकाय का अंशदान

बड़वानी की जनसंख्या 50 हजार से अधिक है और योजना के शुरूआती दिशानिर्देशों के अनुसार योजना लागत का 20% अंशदान नगरनिकाय को वहन करना था। लेकिन डीपीआर में योजना लागत के 10% यानी 1 करोड़ 99 लाख रूपए अंशदान का जिक्र किया गया है। इसी प्रकार सरकारी अनुदान भी 80% के बजाय 90% यानी 17 करोड़ 91 लाख दर्शाया गया है। यह गंभीर त्रुटि है।

उपरोक्त वर्णित सारी त्रुटियों के बावजूद योजना को तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति मिलने में कोई परेशानी नहीं आई और सलाहकार को योजना की प्रगति के अनुसार उसकी निर्धारित फीस का भुगतान भी तत्परता से कर दिया गया है। तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति के दौरान उच्चाधिकारियों द्वारा इस दस्तावेज का परीक्षण अवश्य किया गया होगा। ऐसे में इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि इस डीपीआर की त्रुटियाँ उन अधिकारियों की समझ में नहीं आई होगी। लेकिन चिंता इस बात की है कि जो सलाहकार फर्म ठीक से कागजी काम भी नहीं कर सकती वह निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी कैसे करेगी?

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बड़वानी में वर्तमान जलप्रदाय तंत्र नगर की जरूरत से कहीं अधिक क्षमता का और बेहतर स्थिति में है। केवल एनवीडीए द्वारा निर्मित तंत्र ही अगले 30 वर्षों के लिए पर्याप्त है और जिस तरह यूआईडीएसएसएमटी अनावश्यक थी उसी प्रकार मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की भी अभी कोई जरूरत नहीं है। इससे सिर्फ नागरिकों पर आर्थिक बोझ और नगरपालिका की कंगाली ही बढ़ेगी।

❑

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के प्रभाव

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की एक प्रमुख एवं अनिवार्य शर्त है स्थानीय निकाय की आर्थिक हिस्सेदारी। सितंबर 2012 में जारी विभागीय दिशानिर्देश[19] के अनुसार 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले निकाय को योजना लागत की 20% एवं 50 हजार से कम जनसंख्या वाले निकाय को योजना लागत की 30% राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना लागत की शेष राशि के कर्ज हेतु राज्य शासन गारंटी देगा। लिए गए कर्ज का 75% मूलधन तथा उस पर ब्याज राज्य सरकार चुकाएगी तथा शेष 25% हिस्से को चुकता करने की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की होगी।[20] नगरनिकायों को हडको से 11.25% वार्षिक ब्याज दर पर कर्ज दिलवाने की राज्य शासन की तैयारी है।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार बड़वानी नगरपालिका को योजना लागत 19.90 करोड़ रूपए में से 14.93 करोड़ रूपए का कर्ज लेना होगा। इस कर्ज में से 11.94 करोड़ रूपए तथा 3.98 करोड़ रूपए के ब्याज सहित भुगतान की जिम्मेदारी

बड़वानी का जलप्रदाय खर्च एवं वसूली

वर्ष	जलप्रदाय खर्च	जलप्रदाय से आय	अंतर	वसूली प्रतिशत
2007-08	54,26,352	36,92,496	17,33,856	68.04
2008-09	87,31,582	47,34,211	39,97,371	54.21
2009-10	44,013,65	48,03,578	- 4,02,213	109.13
2010-11	88,34,677	74,70,590	13,64,087	84.55
औसत	**68,48,494**	**51,75,219**	**16,73,275**	**78.98**

टीप–नए कार्य, पाईपलाईन विस्तार और अन्य खर्च मदों को योजना में निवेश मानते हुए इसे जलप्रदाय खर्च में नहीं जोड़ा है। उदाहरण के लिए नए कार्यों पर वर्ष 2007-08 में 16,30,646 तथा वर्ष 2008-09 में 23,99,900 रूपए खर्च किए गए। आय में पिछला बकाया वसूली भी शामिल है। सभी आँकड़े रूपए में।

क्रमशः राज्य शासन और स्थानीय निकाय की है। 6 करोड़[21] रूपए के सालाना बजट वाली बड़वानी नगरपालिका के लिए 4 करोड़ के कर्ज की भरपाई कठिन होगी। कर्ज पर 13 वर्षों में 1.09 करोड़ से अधिक ब्याज चुकाना होगा। केवल कर्ज की अदायगी के लिए हर साल 39.22 लाख अलग से जुटाने होंगें जो सिर्फ जलदरें बढ़ा कर ही जुटाए जा सकते हैं। आईए देखें कि जल दरें बढ़ाकर इस योजना पर होने वाले खर्च की वसूली कैसे की जा सकती है?

नगरपालिका के ताजा आँकड़ों के अनुसार बड़वानी में 10,400 परिवार निवासरत् हैं। इनमें से अधिकांश सक्षम घरों में नल कनेक्शन है और बगैर कनेक्शन के अब वही परिवार शेष हैं जिनकी क्षमता या तो कनेक्शन लेने की नहीं हैं अथवा वे किराएदार हैं। योजना को दी गई तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 18 मई 2012 की शर्तों के अनुसार योजना शुरू होने के एक वर्ष के भीतर सभी कनेक्शनों पर आवश्यक रूप से मीटर लगाने होंगें। फिर भी मान लिया जाए कि योजना शुरू होने के बाद प्रयास किए जाने पर इन कनेक्शनों की संख्या 7,100 से बढ़कर 8,000 हो जाएगी।

वर्तमान में घरेलू जलप्रदाय की दरें 80 रूपए महीना है। सामाजिक और राजनैतिक कारणों से इन दरों में बहुत अधिक वृद्धि संभव नहीं है। यदि वर्तमान दरें बढ़ाई जाना संभव नहीं हुआ तो 8,000 कनेक्शनों के बावजूद नगरपालिका पर 81.78 लाख रूपए सालाना अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा जिससे अन्य मदों का पैसा जलप्रदाय के लिए खर्च करना पड़ेगा। यदि ये दरें 150 रूपए/माह तक बढ़ाई जा सकी तो भी जलप्रदाय

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के पहले वर्ष का आंकलन

प्रस्तावित जलदर	वार्षिक आय	बिजली खर्च	सालाना कर्ज अदायगी	स्थापना खर्च	कुल संचा॰, संधा॰ खर्च	अतिरिक्त खर्च
80	61.44	74.00	39.22	30.00	143.22	- 81.78
100	76.80	74.00	39.22	30.00	143.22	- 66.42
150	115.20	74.00	39.22	30.00	143.22	- 22.02

नोट – गणना में (1) कनेक्शनों की संख्या 8000, (2) आय की गणना 80% वसूली के आधार पर, (3) बिजली खर्च योजना दस्तावेजों से तथा (4) कर्ज अदायगी 11.25 प्रतिशत वार्षिक के ब्याजदर का आधार लिया गया है। स्थापना खर्च वर्ष 2010-11 का लिया गया है। जल दर की ईकाई रूपए तथा शेष ईकाईयाँ लाख रूपए है।

का सालाना घाटा 22.4 लाख रूपए होगा।

हालांकि अभी भी जलप्रदाय का पूरा खर्च नहीं निकल पाता है। पिछले 4 वर्षों में जलप्रदाय का औसत सालाना खर्च 68.48 लाख तथा वसूली 51.75 लाख के बराबर है। जलदरों की 79% वसूली के बावजूद जलप्रदाय व्यवस्था पर सालाना 16.73 लाख रूपए की सब्सिडी की आवश्यकता पड़ती है। यदि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना अस्तित्व में आई तो उसका सालाना संचालन खर्च 1.43 करोड़ होगा। पेयजल के घाटे की पूर्ति हेतु या तो जलदरों में वृद्धि करनी होगी या फिर अन्य मदों की राशि पेयजल का घाटा पूरा करने में खपानी पड़ेगी। अन्य मदों की राशि का उपयोग पेयजल की घाटापूर्ति में करने पर शहर का विकास प्रभावित होगा। वर्ष 2011-12 में नगरपालिका ने जनस्वास्थ्य सुविधाओं पर 41,90,911 रूपए और प्रकाश व्यवस्था पर 25,18,369 रूपए खर्च किए थे। संभव है अगले वर्षों में इन मदों की राशि पेयजल के लिए खर्च करनी पड़े। यदि कारणवश नल कनेक्शनों की संख्या और जलदरें दोनों नहीं बढ़ाई जा सकी तो नगरपालिका को जलप्रदाय का घाटा पूरा करने हेतु हर साल करीब 89 लाख़ रूपए अन्य मदों से खर्च करने पड़ेंगें।

चूँकि इस जलप्रदाय योजना पर खर्च ज्यादा होगा इसलिए अनावश्यक रूप से जलदरें भी बढ़ानी पड़ेगी। जलदरें अधिक बढ़ाने पर सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याएँ खड़ी हो सकती है। पौने पाँच करोड़ की यही योजना मूँदी (खण्डवा) में भी स्वीकृत हुई है। योजना क्रियांवयन के पूर्व ही नगरपंचायत द्वारा जलदरें 60 रूपए/माह से बढ़ाकर 200 रूपए/माह करने का निर्णय लिया है जिसका स्थानीय नागरिकों द्वारा विरोध किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की तरह यूआईडीएसएसएमटी में भी स्थानीय निकायों के लिए लागत राशि का 10% अंशदान जरूरी रहा है। लेकिन, देखने में आ रहा है कि यूआईडीएसएसएमटी स्वीकार करने वाले अनेक स्थानीय निकायों द्वारा अपने हिस्से के निवेश से बचने के लिए जन–निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से पानी के निजीकरण का विकल्प चुना जा रहा हैं। यूआईडीएसएसएमटी में शामिल मध्यप्रदेश के 17 नगरनिकाय अब तक पीपीपी का विकल्प स्वीकार कर चुके हैं। इस प्रकार सार्वजनिक धन से निर्मित परियोजनाओं का निर्माण और संचालन निजी कंपनियों को सौंप कर उन्हें लम्बे समय तक चाँदी काटने का मौका दिया जा रहा है और आम जनता को आर्थिक

बोझ ढोने पर मजबूर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में भी कर्ज लेकर योजना लागत का 20% पूँजी निवेश बड़वानी नगरपालिका को करना है। भारी संचालन–संधारण खर्च और ऊँची ब्याज दर के कर्ज की अदायगी कहीं बड़वानी की जलप्रदाय व्यवस्था को भी निजीकरण का रास्ता तो नहीं दिखाने वाली है?

योजना की वित्तीय व्यवस्था

मुख्यमंत्री शहरी जलप्रदाय योजना की घोषणा के समय इस योजना हेतु आवश्यक शासकीय अनुदान विभागीय बजट से पूरा करने की बात कही गई थी। अगले 10 वर्षों की इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 में विभागीय बजट से 100 करोड़ रुपयों का आंकलन किया गया था। इतनी राशि की उपलब्धता के आधार पर 300 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था।

लेकिन अक्टूबर 2012 में मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन जाकर इस योजना के लिए 38 करोड़ डॉलर (करीब 2 हजार करोड़ रुपए) के कर्ज की माँग की है।[22] योजना में 20 करोड़ डॉलर के बराबर राशि प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से खर्च करने का आश्वासन भी विश्व बैंक को दिया है।[23] सरकार द्वारा विश्व बैंक को अपने अंशदान के संबंध में दिए गए आश्वासन की राशि 20 करोड़ डॉलर (करीब 1 हजार करोड़ रुपए) उतनी ही हैं जितनी उसने हडको से कर्ज लेने की घोषणा की है। इसलिए

कुछ जलप्रदाय योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था

(आँकड़े लाख रुपयों में)

स्थानीय निकाय	जनसंख्या	योजना लागत	राज्य शासन से अनुदान	कर्ज
मूँदी	12,891	480.00	144.00	336.00
उन्हेल	14,285	1116.00	334.80	781.20
भीकनगाँव	16,215	729.00	218.70	510.30
बाबई	17,000	765.00	229.50	535.50
कुक्षी	28,345	1846.08	553.82	1292.26
बड़वानी	54,000	1990.00	398.00	1592.00

स्रोत–आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म॰प्र॰, भोपाल का पत्र क्र॰/या॰प्र॰/7/वि॰ब॰ज॰प्र॰/2012/4391, भोपाल, दिनांक 13 सितंबर 2012 माध्यम से जारी विभागीय दिशानिर्देश के आधार पर

संभावना है कि इतनी विशाल योजना के लिए प्रदेश सरकार के पास कोई आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं है। सरकार योजना के लिए जितनी राशि अपने संसाधनों से जुटाने का दावा कर रही है वह भी कर्ज मिलने के जुगाड़ पर ही संभव है।[24]

चूँकि आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण योजना के लिए विश्व बैंक से कर्ज लिया जाना प्रस्तावित था, संभवतः इसीलिए योजना की शर्तों में पानी के निजीकरण को बढ़ावा दिया जाना शामिल किया गया ताकि विश्व बैंक को कर्ज हेतु राजी किया जा सके। योजना स्वीकृति की ताजा शर्तों के अनुसार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों को अपनी जलप्रदाय योजना पीपीपी के तहत निजी कंपनियों को सौंपना आवश्यक होगा।[25] यदि कोई नगरीय निकाय 1 लाख से कम जनसंख्या वाला है लेकिन उसके 20 किमी के दायरे में अन्य निकाय है, जिनकी कुल जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है, तो वहाँ समूह योजना संचालित की जाएगी ताकि पीपीपी के तहत योजना का निजीकरण किया जा सके। अन्य निकायों को चरणबद्ध एवं समयद्ध तरीके से सुधार (उदारीकरण और निजीकरण) की प्रक्रिया जारी रखनी होगी। नगरीय निकायों द्वारा सुधार प्रक्रिया नहीं अपनाए जाने पर राज्य से मिलने वाले अनुदान और कर्ज में कमी कर दी जाएगी। योजना का लाभ लेने वाले नगरीय निकायों को आगामी 3 वर्षों में संपत्ति कर (जिसका जलप्रदाय से कोई संबंध नहीं है) की वसूली भी 85% तक बढ़ानी होगी।

विश्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने वाले के कर्ज के बावजूद सभी नगरनिकायों को भी कर्ज लेना पड़ेगा और योजना लागत के 17.5% से 20% हिस्से के बराबर के भुगतान की जिम्मेदारी उनकी होगी। यह कर्ज राशि नगरनिकायों की आर्थिक स्थिति के हिसाब से अधिक है। इस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था स्थानीय निकायों और उनके निवासियों पर बहुत भारी पड़ेगी, ऐसी आशंका है।

❑

जलप्रदाय के तथ्य

इस अध्ययन के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिनका उल्लेख तो बार–बार किया जाता है लेकिन इनकी पुष्टि हेतु ठोस आँकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं। हालांकि ये आँकड़े आसानी से जुटाए जा सकते हैं लेकिन इसमें किसी की रूचि दिखाई नहीं देती है। संभव है, ये आँकड़े सार्वजनिक होने पर नई योजनाओं के पक्ष में माहौल बनाना कठिन हो जाए। आईए, देखें इन तथ्यों की असलियत क्या है?

प्रति व्यक्ति जलप्रदाय

जलप्रदाय के आँकड़े प्रति व्यक्ति प्रति दिन या एलपीसीडी के रूप में दर्शाए जाते हैं जो देश में प्रति व्यक्ति आय के आँकड़ों के बराबर ही भ्रामक होते हैं। ये आँकड़े कुल जलप्रदाय के गणितीय औसत भर होते हैं और इनका वास्तविकता से बहुत संबंध नहीं होता है। हर व्यक्ति को मिलने वाले पानी की वास्तविक मात्रा खुद के घर में नल कनेक्शन होने या न होने, पानी भरने हेतु विद्युत मोटर का इस्तेमाल करने या न करने, जलप्रदाय ओवरहेड टंकी से अथवा राईज़िग लाईन से होने की स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करता है। वितरण लाईन का व्यास, खास वितरण लाईन पर कनेक्शनों की संख्या, सर्विस लाईन की लम्बाई आदि कारक भी जलप्रदाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

बड़वानी की वर्तमान जनसंख्या 54,000 मानी गई है और अनुमानित परिवारों की संख्या 10,400 है। शहर में घरेलू नल कनेक्शनों की संख्या 7100 है। इसका अर्थ है कि 3,300 परिवार सार्वजनिक नलों पर निर्भर है। 2003 में 650 सार्वजनिक नल थे जिनमें से अब सिर्फ 468 शेष है यानी करीब 7 परिवारों पर एक कनेक्शन।[26] इसका अर्थ है कि कनेक्शनधारी परिवार के मुकाबले बिना कनेक्शन वाले परिवारों को प्रदाय किए जा रहे पानी का सातवाँ हिस्सा[27] ही मिलता है क्योंकि सार्वजनिक नलों और व्यक्तिगत नलों से एक साथ समान समय जलप्रदाय किया जाता है।

राजेन्द्र मार्ग के सबसे अच्छे चलने वाले सार्वजनिक नल पर हमने पाया कि उससे 1 मिनिट में करीब 14 लीटर पानी निकलता है।[28] यदि नल एक घण्टा चलते हैं तो उससे 840 लीटर पानी मिलता है। चूँकि एक सार्वजनिक नल से औसत 7 परिवार या 36 व्यक्ति[29] जुड़े हैं इसलिए हर परिवार के हिस्से में 120 लीटर और हर व्यक्ति के हिस्से 23 लीटर पानी ही आता है। चूँकि जलप्रदाय दो दिन में एक बार किया जाता है अतः प्रतिदिन जलप्रदाय की मात्रा 11.50 लीटर/व्यक्ति/दिन ही है। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि सार्वजनिक नल से जुड़े लोगों को 11.50 एलपीसीडी जलप्रदाय होता है।

सार्वजनिक नलों पर निर्भर लोगों को नगरपालिका के 80 लीटर/व्यक्ति/दिन के दावे से काफी कम और नल कनेक्शनधारी आम उपभोक्ता के मुकाबले 15% पानी भी नहीं मिल पाता है। CPHEEO दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक नलों से पानी लेने वाले परिवारों के लिए मानक 40 एलपीसीडी है। लेकिन इन परिवारों को इसका एक चौथाई पानी ही मिल पाता है। नवलपुरा में कमजोर माने जाने वाले सार्वजनिक नल में ढाई मिनिट में 14 लीटर पानी मिलता है।[30] इस नल से प्रति व्यक्ति हर दूसरे दिन करीब 10 लीटर या प्रतिदिन 5 लीटर पानी ही मिलता है।

मीडिया रणनीति

पिछले 4 वर्षों से, जब से UIDSSMT के माध्यम से जलप्रदाय की चर्चा शुरू हुई तभी से लगभग हर माह किसी न किसी दैनिक अखबार में प्रमुखता एक खबर ऐसी देखने को मिलती है जिसमें स्पष्ट किया जाता है कि नगर में पानी की बहुत समस्या है। वर्तमान तंत्र जलप्रदाय की समस्या का हल करने में सक्षम नहीं है और नए सिरे से जलप्रदाय तंत्र का निर्माण जरूरी है। इन खबरों में जलप्रदाय की समस्या के 'स्थाई' हल के लिए किसी खास योजना का प्रचार भी किया जाता है।

वैसे तो, इस आशय की खबरें नगरपालिका से अधिकृत रूप से जारी नहीं होती है लेकिन इन खबरों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या जलकार्य विभाग के अभियंता के उद्धरण अवश्य होते हैं। वास्तव में इन खबरों के माध्यम से समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करवाने के बहाने गैरजरूरी योजनाओं के पक्ष में जनमत तैयार करने का काम किया जाता है। अखबार जिन खबरों को 'एक्सक्लूसिव' के रूप में प्रकाशित करते हैं उसका प्रभाव अनजाने में 'पैड न्यूज' की तरह होता है। कई बार इस तरह की खबरों में नगरपालिका का अमला खुद की अक्षमता का बखान भी कर देता है।

नगरपालिका सार्वजनिक रूप से प्रतिदिन 45 लाख लीटर जलप्रदाय का दावा करती रही है। इस हिसाब से 7,100 घरेलू, 130 व्यावसायिक और 468 सार्वजनिक नलों में से प्रत्येक नल से निकलने वाले पानी की मात्रा 45,00,000/7,698 यानी 584 लीटर है। यह मात्रा कनेक्शनधारी परिवार के लिए 112 लीटर/व्यक्ति/दिन से अधिक होती है जबकि सार्वजनिक नल से पानी लेने वाले परिवार के लिए मात्र 16 लीटर/व्यक्ति/दिन। लेकिन इन आँकड़ों का कोई अर्थ नहीं है। नगरपालिका के दस्तावेजों जलप्रदाय तंत्र की क्षमता कहीं अधिक है।

बड़वानी में नल कनेक्शन

अ॰क्र॰	मार्ग का नाम	संख्या
1	कालका देवी मार्ग	219
2	सरदार पटेल मार्ग	444
3	सुभाष मार्ग	215
4	रणजीत मार्ग	256
5	महालक्ष्मी मार्ग	216
6	तुलसीदास मार्ग	74
7	सेगाँव	169
8	भीलट मार्ग	569
9	राजेन्द्र मार्ग	1440
10	महात्मा गाँधी मार्ग	748
11	देवीसिंह मार्ग	448
12	जवाहर मार्ग	681
13	मौलाना आज़ाद मार्ग	777
14	राईदास मार्ग	844
योग		**7100**

*कनेक्शनों की स्थिति मार्च 2012 के अनुसार। नगरपालिका में वार्डवार सूची उपलब्ध नहीं है।

पानी की कमी

यह एक ऐसा तथ्य है जो अममून नागरिकों और अधिकारियों दोनों की जुबान से समान रूप से हमेशा प्रसारित होता रहता है। इस संबंध में कई बार कुछ आँकड़े भी बताए जाते हैं लेकिन इन आँकड़ों का वास्तविक जलप्रदाय या तंत्र की क्षमता से कम ही संबंध होता है। बड़वानी के बारे में भी यही सही है।

पिछले दशक में नगर की जनसंख्या बढ़ने की दर करीब 2.4% वार्षिक रही है। इस हिसाब से वर्ष 2008 में बड़वानी की जनसंख्या करीब 51,000 रही होगी। जनवरी 2008 तक 49 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले पुराने फिल्टर प्लांट (राजघाट रोड़) से जलप्रदाय होता था और तब भी बड़वानी में किसी जल संकट की चर्चा नहीं थी।

जनवरी 2008 से 1 करोड़ 4 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए नए तंत्र से जलप्रदाय प्रारंभ कर दिया।[31] जलप्रदाय की क्षमता तीन गुनी हो जाने के बावजूद नगर में एक दिन की आड़ से जलप्रदाय की स्थिति पूर्ववत ही रही। जिन इलाकों में समस्याएँ थी वहाँ की समस्याएँ भी जस की तस रही।[32] वास्तव

में जल उपलब्धता बढ़ने के साथ आंतरिक वितरण व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान दिया जाना जरूरी था लेकिन इसके बजाय कृत्रिम जल संकट निर्मित कर नई योजनाओं के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

दिसंबर 2011 में 49 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का पुराना फिल्टर प्लांट (राजघाट रोड़) भी शुरू कर दिया गया है। यानी अब बड़वानी के जलप्रदाय तंत्र की क्षमता बढ़कर 1 करोड़ 54 लाख लीटर प्रतिदिन हो चुकी है। यदि इन संयंत्रों से पूर्ण क्षमता से जलप्रदाय किया जाए तो शहर के हर नागरिक (सार्वजनिक नल से पानी लेने वाले को भी) को 281 लीटर पानी रोजाना और यदि एक दिन छोड़कर जलप्रदाय हो तो प्रति व्यक्ति 562 लीटर पानी मिलेगा। इतना अधिक पानी उपलब्ध होने के बावजूद पानी की कमी वाला जुमला बदस्तूर दोहराया जा रहा है।

वर्ष 2008 से अब तक बड़वानी की जनसंख्या में मात्र 3,700 की वृद्धि हुई है जबकि जल उपलब्धता 1 करोड़ 4 लाख लीटर प्रतिदिन बढ़ गई है। शहर में जरूरत से 4 गुना अधिक[33] जल उपलब्धता होने के बावजूद जल संकट का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। जनवरी 2012 में बनाए गए मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के डीपीआर में प्रति व्यक्ति के हिसाब से मात्र 30 लीटर प्रतिदिन जलप्रदाय का उल्लेख किया गया है। साथ ही पेयजल की कमी के कारण आम जनता के उत्तेजित होने का उल्लेख करते हुए सलाहकार फर्म ने भविष्यवाणी की है कि जनसंख्या बढ़ने से यह असंतोषजनक स्थिति और भी खराब हो जाएगी।[34] उल्लेखनीय है कि आधारहीन तथ्य प्रस्तुत कर डीपीआर तैयार करने वाली सलाहकार फर्म ही निर्माण के दौरान इस योजना की निगरानी भी करने वाली है। ऐसे में शहर की पेयजल योजना का भविष्य क्या होना है, यह तो

बडवानी में पानी की वास्तविक जरूरत

परिवार		**जनसंख्या** (5.19 सदस्य / परिवार)	**मानक** (लीटर)	**माँग** (लाख लीटर)
कनेक्शनधारी	71,00	36,849	70*	25.79
गैर कनेक्शनधारी	33,00	17,127	40*	6.85
योग	**10,400**	**53,976**		**32.64**

*Table 2.1 of CPHEEO guidelines, 1999

समय ही बताएगा। लेकिन, बेहतरी की उम्मीद नादानी होगी।

शहर में जलप्रदाय का मुख्य स्रोत नर्मदा है। नगरपालिका 1 करोड़ 4 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले नए फिल्टर प्लांट से 40 लाख लीटर प्रतिदिन तथा पुराने फिल्टर प्लांट से 5 लाख लीटर प्रतिदिन जलप्रदाय का दावा करती है।[35] लेकिन, ये आँकड़े अंदाजन हैं और इनका कोई आधार नहीं है। वास्तव में कितना जलप्रदाय हो रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पानी नापने वाले फ्लो मीटर न तो इंटेकवेल पर लगे हैं और न ही फिल्टर प्लांट पर। लीकेज की जानकारी को संधारित करने योग्य भी नहीं समझा जाता है। इसीलिए वास्तविक जलप्रदाय की सही मात्रा कोई नहीं बता सकता है। लीकेज और गैर राजस्व जल के आँकड़ों के बारे में भी यही स्थिति है।

हमने अपने स्तर पर भी जलप्रदाय की मात्रा जानने की कोशिश की। कसरावद और राजघाट दोनों स्थानों से आने वाले पानी की राईज़िग लाईनें बेहतर स्थित में है। उनमें कहीं कोई बड़ा लीकेज नहीं है। जलप्रदाय के मैदानी अमले के अनुसार वितरण लाईनों की स्थिति भी ठीक है और लीकेज बड़ी समस्या नहीं है। रोज 25 लाख लीटर की टंकियाँ और 10 लाख लीटर के सम्पवेल[36] भरे जाते हैं। इसके अलावा कलेक्टोरेट वाली 5 लाख लीटर की टंकी भी भरी जाती है। इस 40 लाख लीटर पानी के भण्डारण के अलावा करीब आधे शहर में राईजिंग लाईन से जलप्रदाय किया जाता है।[37] यदि यह मान लिया जाए कि 40 लाख लीटर पानी राईज़िग लाईन से प्रदाय किया जाता है तो भी प्रतिदिन प्रदाय होने वाले पानी की मात्रा करीब 8,000 किली या 80 लाख लीटर होगी। पानी की यह मात्रा शहर की वर्तमान जरूरत से लगभग ढाई गुना है।

80 लाख लीटर पानी से 54 हजार की जनसंख्या वाला पूरा शहर 148 एलपीसीडी के हिसाब से प्रदाय पा रहा है। यदि इस जलप्रदाय से वह 10,800 जनसंख्या कम कर दी जाए जहाँ तक नगरपालिका की जलप्रदाय लाईनें नहीं है[38] तो शेष 43,200 लोगों को 185 एलपीसीडी के हिसाब से जलप्रदाय किया जा रहा है। यह जलप्रदाय महानगरों के मानक 150 एलपीसीडी से भी अधिक है। इस प्रकार बड़वानी प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रदाय करने वाला नगर है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए सर्विस लेवल बैंचमार्क के अनुसार प्रदेश सर्वाधिक जलप्रदाय 167 एलपीसीडी राजधानी भोपाल में होता है।[39] हालांकि इसी दस्तावेज में बड़वानी में 80 एलपीसीडी जलप्रदाय का आँकड़ा दिया गया है जो वास्तविकता से मेल नहीं खाता है

तथा बगैर किसी आधार के है। यदि बड़वानी में मात्र 80 एलपीसीडी जलप्रदाय को सही मान लिया जाए तो भी प्रदेश के जलप्रदाय के परिदृश्य के हिसाब से यह बेहतर स्थिति कही जा सकती है।[40] बेहतर और मानक से अधिक जलप्रदाय के बावजूद बड़वानी जैसे नगरों में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के नाम पर नई योजनाओं की जरूरत क्यों और किसे है?

चौबीसों घण्टे जलप्रदाय

पानी के निजीकरण को बढ़ावा देने हेतु आजकल 24 x 7 यानी चौबीसों घण्टे जलप्रदाय का शिगुफा छोड़ा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में अभी तक तो ऐसा प्रावधान नहीं है और मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान स्वयं 24 x 7 जलप्रदाय को पानी की बर्बादी बता चुके हैं।[41] इसके बावजूद इस जुमले का इस्तेमाल बड़वानी में भी जारी हैं। एक तरफ तो नगरपालिका जरूरत से 4 गुना पानी उपलब्ध होने के बावजूद दिन में एक घण्टा भी जलप्रदाय नहीं कर पा रही है वहीं दूसरी ओर सपने चौबीसों घण्टे जलप्रदाय के दिखाए जा रहे हैं। जलप्रदाय व्यवस्था में समस्या का कारण कभी पर्याप्त जल उपलब्धता नहीं होने तो कभी कम जल भण्डारण क्षमता का कारण दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे असली मकसद बड़े बजट की योजना को आगे धकेलने का होता है जो निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करती दिखाई देती है।

❑

गैरजरूरी योजनाएँ : कुछ कारण

योजना आयोग के अनुसार आजादी के समय देश में मात्र कुछ सौ आवासीय बस्तियाँ थी जहाँ पेयजल व्यवस्था नहीं थी और लेकिन 1996 तक ऐसी बस्तियों का आँकड़ा बढ़ कर 68 हजार की संख्या पार कर चुका था।[42] यह स्थिति तब है जब देश भर में जल संरक्षण को काफी महत्व दिया जा रहा है और इसके लिए प्रमुखता से अभियान चलाए जा रहे हैं।

प्रदेश में पिछले करीब डेढ़ दशक से जल संरक्षण हेतु अभियान चलाया जा रहा है। श्री दिग्विजयसिंह के मुख्यमंत्रित्वकाल कें 'पानी रोको अभियान' की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह ने दावा किया है कि उनके 7 वर्षों के कार्यकाल में राज्य में 7 लाख तालाबों का निर्माण किया गया है यानी प्रदेश की 23,040 पंचायतों में से प्रत्येक में 30 से अधिक तालाब।

बड़वानी जिला भी इस मामले में पीछे नहीं है। यहाँ जल संरक्षण योजनाओं के तहत वर्ष 1995-96 से 2002-03 के मध्य 1,72,693 हेक्टर यानी जिले के 32% क्षेत्रफल को उपचारित कर इस पर जल संचय प्रणालियाँ निर्मित की जा चुकी थी। यदि ठीक से यह कार्य हुआ होता तो योजना के सिद्धांतों के तहत इस क्षेत्र में पेयजल के साथ ही संरक्षी सिंचाई भी उपलब्ध हो जानी चाहिए थी। इसके बाद भी जिले में इसी काम के लिए 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में क्रमशः 27.67, 37.13 और 77.36 करोड़ रूपए खर्च किए गए। 2009-10 में 46,350 हेक्टर क्षेत्र उपचारित किए जाने का दावा भी किया गया।[43] इस प्रकार यदि पिछले डेढ़ दशक के सिलसिलेवार आँकड़े जुटाएँ तो पता चलेगा कि बड़वानी की तरह प्रदेश के कई जिलों में जल संरक्षण का काफी कार्य हुआ है। लेकिन, इसके बावजूद प्रदेश में जलसंकट होना इस अभियान और इसके आँकड़ों पर प्रश्नचिंह खड़े करता है।

इसके अलावा जमीनों के बढ़ते दामों की लालच में समाज ने ताल–तलैयों को खत्म करने में भी गुरेज नहीं किया है। हालांकि मत्स्य पुराण में एक तालाब को 10 पुत्रों के समान माना गया है। इससे जल उपलब्धता प्रभावित हुई है। पाईप से पेयजल प्रदाय शुरू होने से कुएँ–बावड़ियों की उपेक्षा प्रारंभ हुई।

नगरीय क्षेत्र में केन्द्रीकृत माँग के कारण स्थितियों अंतर है। लेकिन, देश की अन्य नगरीय इकाईयों की तरह बड़वानी भी अपने जल संसाधनों का संरक्षण नहीं कर पाया है। थोड़ा गहराई से पड़ताल करने पर पता चलता है कि यह एक आम समस्या बन गई है लेकिन इसका समाधान स्थानीय परिस्थितियों को नज़रअंदाज़ करते हुए एक जैसा किया जा रहा है। मोटे तौर पर हमारे अध्ययन में इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कुछ कारक प्रमुख रूप से सामने आए हैं –

निर्णय प्रक्रिया – पेयजल जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहद केन्द्रीकृत और जनभागीदारीविहीन है। यही प्रक्रिया निचले स्तर पर मनमानीपूर्ण हो जाती है। आम जनता को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली योजनाओं में जनभागीदारी को पूरी तरह से नकारा गया है। कई बार तो निर्वाचित प्रतिनिधियों तक दरकिनार कर दिया जाता है।

ज्यादातर योजनाएँ उच्च कार्यालयों से तैयार होकर आती है जिन पर स्थानीय निकायों से दिखावे के लिए औपचारिक स्वीकृति भर ली जाती हैं। बड़वानी की नगर विकास योजना (सीडीपी) की पूरी प्रक्रिया ऊपर से हुई। सीडीपी हेतु सलाहकार का चयन, टेण्डर प्रक्रिया और निगरानी सब कुछ। जब सीडीपी तैयार हो गई तो नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने नगरपालिका को इसे स्वीकार करने का निर्देश (वास्तव में आदेश) दिया तो आज्ञाकारी मातहतों की तरह उच्चाधिकारियों की आज्ञा का पालन करते हुए नगरपालिका ने संकल्प पारित कर सीडीपी को अंगीकृत कर लिया।[44] शायद इसीलिए सीडीपी में न तो स्थानीय नागरिकों की अपेक्षाओं का ध्यान रखा गया है और न ही सही तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है।

बड़वानी में जलप्रदाय आवर्धन हेतु UIDSSMT के तहत साढ़े 5 करोड़ 54 लाख रूपए की योजना के निर्माण पर साढ़े पाँच वर्षों से विचार जारी था। लेकिन जब नगरपालिका को इससे भी बड़ी मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की स्वीकृति की खबर

मिली तो अधिकारी तुरंत इसके लिए तैयार हो गए। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की अनाधिकृत खबर के आधार पर ही UIDSSMT को छोड़ने का निर्णय तत्परता से ले लिया। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बड़वानी नगरपालिका के सालाना बजट से 3 गुना बड़ी तथा अधिक संचालन–संधारण खर्च वाली योजना है जिसके अनेक दूरगामी परिणाम संभावित है। लेकिन इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए अधिकारियों ने न तो परिषद के निर्वाचित होने की प्रतीक्षा की और न ही इसकी कीमत चुकाने वाली जनता से विचार–विमर्श का प्रयास किया। 6 करोड़ के सालाना बजट वाली नगरपालिका ने योजना हेतु 4 करोड़ रूपए का योगदान की बात इतनी आसानी से कह दी मानो हजार–दो हजार रूपए की बात हो।

इसी प्रकार खण्डवा में जलप्रदाय के निजीकरण का जब निर्णय लिया जा रहा था तब निर्वाचित पार्षदों तक की इस मामले में राय नहीं ली गई। कुछ पार्षदों द्वारा विरोध के बावजूद उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखने हेतु सारे निर्णय मेयर इन काउंसिल में लिए गए।

पारदर्शिता – नगरीय निकायों की नई पेयजल योजनाओं के काम निजी सलाहकारों से करवाए जा रहे हैं। इससे अधिकारी पूरी तरह से सलाहकारों पर निर्भर हो गए है तथा वे चार लाईन की चिट्ठी लिखने तक के लिए भी सलाहकार की मदद लेने लगे हैं।[45] यदि कोई व्यक्ति सूचना का अधिकार के तहत भी पेयजल योजनाओं से संबंधित सूचनाएँ माँगता तो अधिकारी सलाहकार से राय लेते। कई सलाहकारों का काम स्तरहीन तथा त्रुटिपूर्ण होता है इसलिए वे पारदर्शिता को पसंद नहीं करते हैं। सलाहकार की राय के अनुसार अधिकारी जानकारी उपलब्ध करवाने से इंकार कर देते हैं।[46] सूचना तक पहुँच बाधित करने में अधिकारियों का व्यवहार ऐसे होता है मानों वे सरकारी कर्मचारी न होकर सलाहकार के मातहत हो। सलाहकारी ठेके बड़ी राशियों के होते हैं इसलिए अधिकरियों के हित भी इससे जुड़ जाते है इसलिए कानूनन जरूरी होने के बावजूद वे पारदर्शिता से परहेज करने लगते हैं। पारदर्शिता का अभाव भ्रष्टाचार एवं मनमानी का कारण बनता है।

जवाबदेही – अन्य सरकारी विभागों की तरह नगरनिकायों में भी सेवा में कमी पर जवाबदेही का कोई प्रावधान नहीं है। उपलब्धता के बावजूद लोगों को पानी नहीं मिलने अथवा सही आँकड़े संधारित नहीं करने अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर किसी को

जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है। बड़वानी शहर की वास्तविक जरूरत से 4 गुना पानी उपलब्धता का तंत्र मौजूद होने के बावजूद नगर में एक दिन छोड़ कर जलप्रदाय किया जा रहा है। गरीब बस्तियों में शहर के औसत के बराबर जलप्रदाय नहीं हो रहा है। लेकिन, इसके लिए न तो पेयजल प्रदाय में लगा अमला जिम्मेदार है और न ही इस पर निगरानी रखने वाला कोई अधिकारी। शायद इसीलिए सही तरीके से रिकार्ड तक संधारित नहीं किया जाता है।[47] जवाबदेही की कमी से सेवाओं में सुधार की संभावना खत्म हो जाती है और सेवा उपलब्ध करवाना अमले की दयाभावना पर निर्भर हो जाता है। अस्थाई/संविदा कर्मचारियों की अपेक्षा स्थाई कर्मचारियों में गैरजवाबदेही स्पष्ट दिखाई देती है। अमले को जवाबदेह बनाने का प्रयास न तो विभाग के स्तर पर किया जा रहा है और न ही अमले में ऐसी रूचि भी दिखाई देती है।

संवेदनहीनता – पानी बहुत अहम संसाधन है। समाज में आर्थिक गैरबराबरी के कारण समाज के एक बड़े वर्ग की क्रय शक्ति बहुत कम है।[48] वे पानी खरीदने की स्थिति में नहीं है। साथ ही कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी उन्हें मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने की है। लेकिन कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता न तो सरकार के स्तर पर है और न ही निकाय के स्तर पर। इस संबंध में बात शुरू करते ही जिम्मेदार अधिकारी अतार्किक बातें कहने लग जाते हैं। गरीब व्यक्ति दारू खरीद सकता है तो पानी क्यों नहीं? पानी की खराबी के कारण कई बीमारियाँ फैलती है। निजी कंपनियाँ साफ पानी प्रदाय करेगी..... आदि। अब इन अधिकारियों को कैसे समझाया जाए कि सबको साफ और जरूरत का पानी उपलब्ध करवाना उन्हीं की जिम्मेदारी है।

सलाहकार – कुछ वर्षों पूर्व तक बड़ी से बड़ी योजनाएँ सरकारी अमला ही बनाता और चलाता रहा है लेकिन अब हर काम के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की जा रही है। सलाहकारी कार्य में बड़ी राशि शामिल होती है जिस कारण वे सौदे हथियाने के लिए ऐसे कृत्य भी करते हैं जिन्हें उचित नहीं कहा जा सकता है। सलाहकारों के उच्च पदस्थ राजनैतिक और प्रशासनिक हल्कों में संपर्क होते है जिससे उन्हें ठेके प्राप्त करने मदद[49] तथा उनके स्तरहीन कार्यों का भी भरपूर समर्थन किया जाता है।[50]

निर्णय प्रक्रिया में शामिल कुछ वर्गों के हित योजना निर्माण से जुड़े होते हैं जिसके कारण उनके बीच एक हितसंबंध बन जाता है जो संगठित होकर मुखर तरीके से अपने पक्ष का प्रचार करता है।[51] चूँकि सलाहकारों की फीस योजना लागत पर निर्भर होती है

इसलिए वे योजना लागत बढ़ाने में अधिक रूचि लेते हैं। अनावश्यक बढ़ाई गई लागत का फायदा हितसंबंध के अन्य पक्षों को भी मिलता है अतः इस मामले में सवाल ही नहीं उठाए जाते हैं। लेकिन अंततः इसकी कीमत आम आदमी को ही चुकानी पड़ती है।

तकनीकी क्षमता – नगर विकास योजना या विस्तृत परियोजना रपटों की स्वीकृति उच्च स्तर पर होती है। नगर विकास योजना निर्माण के ठेके थोक में हो रहे हैं। ऐसे में संभव है कि योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के पास तकनीकी समझ रखने वाले पर्याप्त मानव संसाधन का अभाव होता हो और उस स्तर पर प्रत्येक दस्तावेज का अध्ययन करना संभव नहीं हो। ऐसे में उच्च प्राधिकारियों के समक्ष भी सलाहकारों के काम पर विश्वास जताने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा होगा। यह भी संभव है कि दस्तावेजों की विषयवस्तु की निगरानी का कोई तंत्र ही न हो और सलाहकारों के काम को अंतिम मान लिया गया हो। लेकिन, यदि इन दस्तावेजों की विषय वस्तु पर निगरानी रखी जाती तो स्तरीय दस्तावेज तैयार होने की संभावना होती।

दूसरी ओर, नगरनिकाय के स्तर पर तकनीकी समझ रखने वाला पर्याप्त अमला नहीं है जो कि इन दस्तावेजों का अध्ययन कर उस पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकें।[52] स्थानीय स्तर पर योजना दस्तावेजों की अंग्रेजी भाषा भी कभी बाधा बनती है लेकिन सच्चाई यह भी है कि कई कारणों से संबंधित अधिकारी इन दस्तावेजों को देखना तक नहीं चाहते हैं।[53] इसी का नतीजा है कि सलाहकार फर्मों तथा अन्य संबंधितों के मध्य स्थापित हितसंबंधों के कारण आम जनता पर अत्यधिक महँगी और गैरजरूरी योजनाएँ थोपी जा रही है।

बड़वानी में इस समय 2008 में प्रारंभ हुए जलप्रदाय तंत्र और पुराने तंत्र से जलप्रदाय जारी है। दोनों तंत्रों की क्षमता और शहर की जनसंख्या के आँकड़े बताते हैं कि शहर में वास्तविक जरूरत के मुकाबले करीब 4 गुना अधिक जल उपलब्धता है। इसके बावजूद योजनाकारों और सलाहकारों को बड़वानी में 'भीषण' जल संकट दिखाई दे रहा है। कृत्रिम जल संकट पैदा कर बड़े बजट की अनावश्यक योजनाएँ बनाने के खेल को समझा जाना जरूरी है। बहुत ही दुःखद होगा यदि एक ऐसी योजना के लिए बड़वानी नगरपालिका को संकट की ओर धकेल दिया जाएगा जो फिलहाल बिल्कुल जरूरी नहीं है।

❑

टिप्पणियाँ

1 वेस्टर्न स्टेट्स (मालवा) गजेटियर, 1908 एवं खरगौन जिले का गजेटियर, 1970

2 अधीक्षण यंत्री, सिंचाई, खरगौन की कार्यस्थल निरीक्षण रपट, दिनांक 7 दिसंबर 1972

3 कलेक्टर खरगौन का जल संसाधन विभाग को लिखा पत्र दिनांक 9 अगस्त 1973 जिसके माध्यम से इस लघु सिंचाई परियोजना से लाभांवित किसानों पर सिंचाई शुल्क आरोपित करने पर सहमति दी गई थी।

4 बड़वानी का विकसित क्षेत्र 228 हेक्टर है जिसमें में 86 हेक्टर आबादी हेतु उपयोग की गई है।

5 नगर विकास योजना, पृष्ठ-63

6 सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार जलप्रदाय की समस्याओं के संबंध में नगरपालिका को पिछले 10 वर्षों में मात्र 5 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हैं। ये सभी ज्ञापन जलप्रदाय में प्रबंधन संबंधी समस्याओं से संबंधित थे। इन 10 वर्षों में से 7 वर्षों में किसी भी नागरिक से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

7 नगर विकास योजना में जलप्रदाय के साथ शिक्षा, परिवहन एवं व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित बुनियादी ढाँचे हेतु उपलब्ध भूमि का नियोजन एवं निवेश योजना का समावेश होता है। हमने इस अध्ययन में केवल जलप्रदाय से संबंधित अंशों पर ही टिप्पणी की है।

8 मध्यप्रदेश में 14 नगरनिगम, 96 नगरपालिका और 250 नगर पंचायतें हैं

9 राज्य शासन की प्रचार पुस्तिका Inclusive Urban Planning in Madhya Pradesh, पृष्ठ-7

10 नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय का पत्र क्र 534, दिनांक 5 फरवरी 2011

11 सीडीपी स्वीकार करने संबंधी नगरपालिका का संकल्प क्र॰ 23, दिनांक 22 फरवरी 2011 नगरपालिका की प्रभारी अधिकारी (स्थानीय एसडीएम) एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है।

12 सीडीपी संचालन समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी थे। सदस्यों में सर्वश्री राजन मडलोई, कार्यपालन यंत्री, पीएचई, कार्यपालन यंत्री, पीडब्ल्यूडी, उपयंत्री नगरपालिका, सुभाष जोशी, डॉ॰ ओ॰पी॰ खण्डेलवाल, ओमप्रकाश जैन, डॉ॰ आर॰ आर॰ कान्हेरे, के॰टी॰ मडलोई, जितेन्द्र कुमार जैन, डॉ॰ आर॰एन॰ शुक्ला, डॉ॰ दिनेश वर्मा, मोती सुल्ताने, शिवपालसिंह सिसोदिया, प्रदीप शर्मा, एम॰एस॰ मंसूरी शामिल थे।

13 पुराना जलप्रदाय तंत्र सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित होने के कारण नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नई योजना बना कर दी गई है।

14 यूआईडीएसएसएमटी योजना के सलाहकार ने 5 जनवरी 2008 को डीपीआर का पहला प्रारूप तैयार किया था जिसमें राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी ने 11 जून 2008 को कुछ कमियाँ बताई थी। इसके बाद 23 जून 2008 से 18 सितंबर 2008 के बीच नगरपालिका ने सलाहकार को 3 पत्र लिखे जिसमें कमियाँ सुधारने का उल्लेख था। चौथा पत्र 3 वर्ष बाद 19 दिसंबर 2011 को तब लिखा गया जब 25 करोड़ की योजना की स्वीकृति की सूचना अन्य सलाहकार के माध्यम से मिल चुकी थी। इस पत्र में 7 दिन में कमियाँ सुधारने अथवा अनुबंध रद्द करने की चेतावनी दी गई थी। जो काम साढ़े 3 सालों में नहीं हुआ वह 7 दिन में कैसे हो सकता था?

15 इसी पत्र में वास्तुशिल्पी प्रोजेक्टस एण्ड कंसलटेंट्स प्रा॰ लिमि॰ ने यह सूचना भी दी थी कि फर्म डीपीआर निर्माण का कार्य भी करती है।

16 टिप्पणी क्र॰ 14 के समान।

17 नगरपालिका का पत्र 140, दिनांक 16 जनवरी 2012 एवं जानकारी पत्रक 23 मार्च 2012

18 बड़वानी में जलप्रदाय की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु अगस्त–सितंबर 2011 में एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में नगर के 24 में 8 वार्डों का चयन कर वहाँ की 10% प्रतिशत जनसंख्या से जानकारी ली गई। सर्वेक्षण में मात्र 17 प्रतिशत लोगों ने कम दवाब से जलप्रदाय की शिकायत की थी। कम दबाव की शिकायत करने वाले उत्तरदाताओं में से अधिकतर गरीब बस्तियों के निवासी थे।

19 आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म॰प्र॰, भोपाल का पत्र क्र॰/या॰प्र॰/7/वि॰ब॰ज॰प्र॰/2012/4391, भोपाल, दिनांक 13 सितंबर 2012

20 मान लिजिए किसी योजना की लागत 1,000 रूपए है तो 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकाय को 200 रूपए राज्य से अनुदान प्राप्त होगा तथा 800 रूपए का कर्ज लेना होगा। इस कर्ज से 600 और 200 के ब्याज सहित भुगतान की जिम्मेदारी क्रमशः राज्य शासन एवं नगरीय निकाय की होगी।

21 वित्तीय वर्ष 2010-11 में बड़वानी नगरपालिका का कुल खर्च 6,04,83,052 रूपए था।

22 मध्यप्रदेश शासन की वेबसाईट - http://www.mpinfo.org/mpinfonew/NewsDetails.aspx?newsid=121002N1&flag1=

23 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियाँ अपनी आर्थिक सुधारों की नीति के अनुसार अब संपूर्ण योजना लागत के बराबर कर्ज नहीं देती है बल्कि कर्जदारों से यह शर्त रखी जाती है कि वह अपने संसाधनों से भी निवेश करें। वर्ष 2004 में स्वीकृत 43.9 करोड़ डॉलर की 'जलक्षेत्र पुनर्रचना परियोजना' में से 39.6 करोड़ डॉलर का ही कर्ज स्वीकृत किया था। शेष 4.3 करोड़ डॉलर की राशि का निवेश राज्य सरकार को अपने संसाधनों से करना पड़ा। एडीबी ने 30.35 करोड़ डॉलर की मध्यप्रदेश शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना के लिए केवल 20 करोड़ डॉलर का ही कर्ज स्वीकृत किया था।

24 यह आश्चर्यजनक है क्योंकि योजना में प्रारंभ से ही निजीकरण थोपने वाली सरकार के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान प्रदेश में पानी का निजीकरण नहीं होने देने की घोषणा कर

वाहवाही बटोर चुके हैं। संदर्भ के लिए मध्यप्रदेश के जनसंपर्क विभाग की वेबसाईट देखें – http://www.mpinfo.org/mpinfonew/newsdetails.aspx?newsid=120706N18&flag1=1

25 मुख्यमंत्री शहरी जलप्रदाय योजना की प्रचार पुस्तिका

26 नगरपालिका के अमले के अनुसार आधे सार्वजनिक नलों पर निजी कब्जे हो चुके हैं। लेकिन, हमने इस गणना में सार्वजनिक नलों की पूरी संख्या ली है।

27 यह सामान्य अंदाजा है। वास्तव में सार्वजनिक नलों से इससे भी कम पानी मिलता है। अधिकांश या लगभग सभी निजी नल कनेक्शनों पर पर विद्युत मोटर लगाकर अधिक पानी खींच लिया जाता जाता है जिससे सार्वजनिक नलों पर दबाव कम हो जाता है। सार्वजनिक नलों से पानी मिलना कई कारकों पर निर्भर करता है। जिसके घर के सामने नल है वह उस नल पर अपना अधिकार जताता है तथा दूसरों के मुकाबले अधिक पानी लेता है। किसी सार्वजनिक नल पर एक से अधिक समुदायों द्वारा पानी भरे जाने पर सामाजिक दृष्टि से कमजोर समुदायों का बराबरी से पानी लेने का अधिकार प्रभावित होता है।

28 आशाग्राम रोड़ पर महिला बाल विकास कार्यालय के पास वाला नल, 2 जून 2012

29 नगर विकास योजना के अनुसार बड़वानी में परिवारों की औसत सदस्य संख्या 5.19 व्यक्ति है।

30 कांजी हाउस (नवलपुरा) के पास वाला नल, 16 अप्रैल 2012

31 कुछ दस्तावेजों में अगस्त 2008 का उल्लेख है।

32 मंथन द्वारा किया गया मैदानी सर्वेक्षण, अगस्त–सितंबर 2011

33 CPHEEO मानकों के अनुसार बिना मलनिकास प्रणाली वाले शहरों में हर व्यक्ति के लिए प्रतिदिन जलप्रदाय का मानक 70 लीटर तथा सार्वजनिक नलों से पानी लेने वालों के लिए 40 लीटर का मानक है। लेकिन, पूरे शहर लिए अधिकतम मानक 70 लीटर के हिसाब से गणना करने पर भी शहर की दैनिक जरूरत 37,8000 लीटर होती है।

34 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का डीपीआर, पृष्ठ-3 एवं 4

35 फरवरी 2012 में नगरपालिका द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग को प्रेषित रपट। अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा उपेक्षणीय बताई गई है।

36 मैदानी अमले के साथ बातचीत पर आधारित आकलित मात्रा। संपवेल की भण्डारण क्षमता इतनी नहीं है लेकिन इनसे वितरण के दौरान भी जल भण्डारण जारी रहता है। अतः सकल भण्डारण अधिक होता है।

37 राईज़िग लाईन से जलप्रदाय के दौरान शेष पानी से टंकियाँ भरती रहती है। 1 करोड़ 4 लाख लीटर प्रतिदिन के फिल्टर प्लांट से मात्र 40 लाख लीटर प्रतिदिन पानी क्यों मिल रहा है इसका संतोषजनक जवाब जिम्मेदार अधिकारियों से नहीं मिल पाया।

38 नगरपालिका के अनुसार शहर के केवल 80% इलाके में पाईप लाईनों का विस्तार है। कहीं यह आँकड़ा 70% भी है।

39 सर्विस लेवल बैंचमार्क, 27 जनवरी 2011 के अनुसार भोपाल के बाद प्रदेश में रीवा (135), उज्जैन (133), सागर (122), ग्वालियर (109), छिंदवाडा (103), सिहोरा

(जबलपुर) (100), मंडला (99), होशंगाबाद (98), और जबलपुर (97) सर्वाधिक जलप्रदाय किया जाता है। यहाँ शहर के नाम के बाद कोष्ठक में लिखी संख्या उस शहर में प्रतिदिन किए जाने वाले जलप्रदाय की मात्रा दर्शाती है।

40 सर्विस लेवल बैंचमार्क, 27 जनवरी 2011 के अनुसार प्रदेश में अशोकनगर और देवरी (सागर) में सबसे कम 15 लीटर/व्यक्ति/दिन जलप्रदाय होता है। उसके बाद डोंगर परासिया (छिंदवाडा) और दमुआ (छिंदवाडा) में 17, झाबुआ, मंदसौर और जावरा (रतलाम) में 24, मलाजखंड (बालाघाट) और श्यौपुर में 25 तथा गोदह (भिण्ड) में 27 लीटर/व्यक्ति/दिन जलप्रदाय हो रहा है।

41 पर्यावरण विज्ञान केन्द्र, नईदिल्ली की पुस्तक 'एक्सक्रीटा मेटर्स' के अनावरण समारोह से संबंधित समाचार में मुख्यमंत्री का बयान, नवदुनिया, भोपाल 7 जुलाई 2012

42 योजना आयोग के पूर्व सचिव श्री एनसी सक्सेना द्वारा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था पर प्रकाशित आलेख जिसे योजना आयोग की वेबसाईट http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/index.php?repts=water.htm पर देखा जा सकता है।

42 बड़वानी जिले जल संरक्षण संबंधी आँकड़े जिला पंचायत से प्राप्त हुए हैं।

44 नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय का पत्र क्र॰ 534, दिनांक 5 फरवरी 2011 एवं नगरपालिका का संकल्प क्र॰ 23, दिनांक 22 फरवरी 2011

45 इस संबंध में एक मजेदार लेकिन गंभीर घटना उल्लेखनीय है। बड़वानी शहर की मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विभाग के मुख्य अभियंता को पत्र लिखा जाना था। अपनी आदत के अनुसार नगरपालिका के संबंधित अधिकारी द्वारा सलाहकार को यह पत्र तैयार करने की सूचना दी गई। सलाहकार ने इमेल से पत्र का प्रारूप भिजवा दिया। पत्र के प्रारूप में आवश्यक बदलाव कर नगरपालिका ने इसे पत्र क्र॰ 319 दिनांक 9 फरवरी 2012 के रूप में विभाग के मुख्य अभियंता को प्रेषित कर दिया गया। लेकिन, पत्र में शहर का नाम बदलने से छूट गया था जिसके कारण बड़वानी शहर के बजाय कुक्षी (धार) के लिए स्वीकृति माँगी ली गई थी। इसी पत्र के आधार पर 18 मई 2012 को मुख्य अभियंता द्वारा बड़वानी की मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

46 हमारे द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत किए गए आवेदन–पत्रों पर पिपरिया (होशंगाबाद), इटारसी, दमोह, कुक्षी, (धार), भीकनगाँव (खरगोन), धार आदि नगरनिकायों से एक जैसा जबाब मिला कि सलाहकार ने सूचनाएँ उपलब्ध करवाने से इंकार कर दिया है। जिसके कारण हमें समय और धन बर्बाद कर अपीलें करनी पड़ी। सनावद और होशंगाबाद नगरपालिका ने अधूरी सूचनाएँ उपलब्ध करवाई। भीकनगाँव (खरगोन), और दमोह नगरनिकायों ने पैसा जमा करवाने के बावजूद सूचनाएँ देने से इंकार कर दिया।

47 लीकेज तथा अन्य तरीकों से बर्बाद होने वाले पानी की जानकारी तथा टूटफूट और मरम्मत से संबंधित कोई रिकार्ड संधारित नही है। ये काम नगरपालिका में मौखिक होते हैं। सार्वजनिक नल कनेक्शनों संख्या और उनकी स्थिति का रिकार्ड नगरपालिका में संधारित नहीं है।

48 बड़वानी सीडीपी की तालिका क्र॰ 11-9-2, पृष्ठ-100 के अनुसार शहर की मलिन घोषित बस्तियों वाले 16 वार्डों की 74% आबादी के पास अपने निजी शौचालय भी नहीं है।

49 बड़वानी नगरपालिका को मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की स्वीकृति संबंधी जानकारी सबसे पहले वास्तुशिल्पी प्रोजेक्ट एण्ड कंसलटेंट्स प्रा॰ लिमि॰, भोपाल से प्राप्त हुई थी। फर्म ने नगरपालिका से उसकी कंसलटेंसी सेवा लेने का आग्रह भी किया गया था। नगरपालिका को 2 सप्ताह बाद अधिकृत सूचना मिली। बाद में एक संदिग्ध निविदा प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की कंसलटेंसी का ठेका इसी फर्म को मिला।

50 डीपीआर में अनेक तथ्यात्मक खामियों के बावजूद नगरपालिका द्वारा कंसलटेंसी फर्म के बिलों का अत्यधिक तत्परता से भुगतान किया जा रहा है। सलाहकार के 4 लाख 97 हजार का बिल के भुगतान के लिए फाईल बाबु से लेकर एसडीएम (तत्कालीन प्रशासक) तक 6 बार दौड़ी और 4 पृष्ठों की नोटशीट लिखी गई,। फाईल के इतनी भागदौड़ और लिखापढ़ी के बावजूद सलाहकार का भुगतान एक ही दिन में हो गया। केवल इतना ही नहीं अनुबंध के विपरीत 2 लाख रूपए का अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया।

51 उदाहरण के लिए बड़वानी में पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के नाम पर मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का समर्थन तो किया जा रहा है लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है कि जरूरत से 3 गुना अधिक उपलब्धता के बावजूद शहर में रोज घण्टा भर जलप्रदाय क्यों नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2008 में निर्मित नए फिल्टर प्लांट में यदि कुछ हजार लागत का फिल्टर बेड खराब हो गया तो इसके लिए 4 करोड़ 28 लाख खर्च कर पूरा फिल्टर प्लांट नया बनाने की आवश्यकता क्यों है?

52 यह आश्चर्यजनक है कि बाहरी सलाहकार ने बड़वानी की जरूरतों को अच्छे से समझते हुए मात्र दो सप्ताह में योजना का डीपीआर तैयार कर तकनीकी स्वीकृति के लिए भिजवा दिया और वर्षों से बड़वानी में जलप्रदाय करने वाला अमला न तो उसमें कोई कमी ढूँढ पाया और न ही अपने सुझाव दे पाया।

53 बड़वानी के डीपीआर में पृष्ठ iv है ही नहीं। हमें उपलब्ध करवाए गए प्रमाणित दस्तावेज में पृष्ठ iv की कमी हमें पहले फोटोकॉपी की चूक प्रतीत हुई। नगरपालिका कार्यालय में दुबारा मूल दस्तावेज से मिलान करने पर स्पष्ट हुआ कि यह पृष्ठ दस्तावेज में नहीं है। इसी दस्तावेज के पृष्ठ–53 पर कर्ज पुनर्भुगतान की गणना संलग्न होने का लेख है लेकिन न तो डीपीआर के साथ यह गणना संलग्न है और न ही नगरपालिका की किसी अन्य नस्ती में यह उपलब्ध है। योजना दस्तावेज में इसी प्रकार की अनेक तथ्यात्मक त्रुटियाँ है। हैरानी की बात यह है कि इसी त्रुटिपूर्ण दस्तावेज के आधार पर योजना की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृतियाँ जारी हो चुकी है और टेण्डर के बाद योजना क्रियांवयन की तैयारी है।

❑

संलग्नक -1

बड़वानी में जलप्रदाय आवर्धन योजनाएँ

यूआईडीएसएसएमटी

तारीख	विवरण
28 अग॰ 2006	इंदौर की सलाहकारी फर्म बड़जात्या एण्ड एसोसिएट्स को UIDSSMT के तहत प्रस्तावित पेयजल आवर्धन योजना का योजना लागत 5.54 करोड़ की 1.24% फीस यानी 6,87,493 रूपए में ठेका दिया गया। इसी फर्म को समान शर्तों पर इंटीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डिवेलपमेंट परियोजना (IHSDP) का भी सलाहकार नियुक्त किया जिसके तहत 6 करोड़ 96 लाख की लागत से 250 आवास प्रस्तावित हैं।
7 अक्तू॰ 2006	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा तैयार 5 करोड़ की प्रस्तावित एक पेयजल कार्ययोजना शासन को प्रेषित।
20 नवं॰ 2006	मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने सलाहकार से योजना तैयार करने में हुई देरी का कारण पूछते हुए 3 दिन में योजना प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा।
28 दिसं॰ 2006	आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव ने कलेक्टर (बड़वानी) को पत्र लिखकर जिले के अधिक से अधिक नगरनिकायों से UIDSSMT के प्रस्ताव भिजवाने का आग्रह किया।
9 जुलाई 2007	मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने सलाहकार को पुनः 3 दिन में योजना प्रस्तुत करने को कहा।
30 सितं॰ 2007	जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा UIDSSMT की समीक्षा करते हुए प्रस्तावित जल आवर्धन की कार्ययोजना शासन को भिजवाने के निर्देश दिए।
3 नवं॰ 2007	मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने सलाहकार को पुनः 3 दिन में योजना प्रस्तुत करने को कहा।
6 दिसं॰ 2007	मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने सलाहकार को 3 दिन में योजना प्रस्तुत करने और योजना प्रस्तुत नहीं करने पर कार्यादेश निरस्त करने की चेतावनी दी।
5 जन॰ 2008	सलाहकार द्वारा तैयार 5 करोड़ 54 लाख लागत की योजना स्वीकृति हेतु शासन को भेजी गई।
6 जून 2008	नगरपालिका ने कार्ययोजना की कमियाँ 3 दिन में पूरी न करने पर अनुबंध एवं कार्यादेश बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द करने संबंधी चेतावनी सलाहकार को दी।
10 जून 2008	सलाहकार ने अपने काम की पहली किश्त के रूप में एक चौथाई फीस 1,71,873 रूपए का बिल भेजा।
11 जून 2008	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा योजना में कुछ तकनीकी कमियाँ बताई गई।
23 जून 2008	कार्ययोजना की तकनीकी कमियाँ सुधारने हेतु सलाहकार को पत्र लिखा।

5 जुलाई 2008 — नगरपालिका ने कार्ययोजना में तकनीकी कमियाँ सुधारने तक सलाहकार की फीस भुगतान स्थगित रखने संबंधी पत्र लिखा।

18 सितं॰ 2008 — सलाहकार को शासन के निर्देशानुसार कार्ययोजना बनाने हेतु स्मरण–पत्र भेजा।

19 दिसं॰ 2011 — सलाहकार को 7 दिन में कार्ययोजना प्रस्तुत करने अथवा अनुबंध निरस्त करने की चेतावनी के साथ नगरपालिका द्वारा एकतरफा अनुबंध निरस्त। 25 करोड़ की मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के लिए रास्ता साफ।

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

23 नवं॰ 2011 — नगरीय पेयजल उपलब्धता के संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आहूत विभागीय मीटिंग में नवीन पेजयजल योजनाओं हेतु विभागीय बजट से अनुदान प्रस्तावित किया गया।

17 दिसं॰ 2011 — वास्तुशिल्पी प्रोजेक्ट एण्ड कंसलटेंट्स प्रा॰ लिमि॰, भोपाल ने नगरपालिका को पत्र लिखकर पूर्व सूचना दी कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के लिए 25 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रस्तावित है। इसी पत्र में फर्म ने नगरपालिका से उसकी कंसलटेंसी सेवा लेने का आग्रह किया था।

2 जन॰ 2012 — संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास ने पत्र जारी कर बड़वानी हेतु मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की स्वीकृति की वही सूचना नगरपालिका को दी जो सलाहकार के माध्यम से उसे 2 सप्ताह पूर्व प्राप्त हो चुकी थी। इस पत्र में बड़वानी समेत 37 नगरनिकायों के लिए योजना स्वीकृति का उल्लेख है।

5 जन॰ 2012 — वीडियो कांफ्रेंसिग में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मुख्य अभियंता ने योजना समयसीमा में तैयार करने के 'सख्त' निर्देश दिए। इसके कुछ ही घण्टों बाद निकाय ने योजना के समर्थन में अपना संकल्प क्र॰ 106 पारित कर सलाहकार हेतु निविदा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की।

11 जन॰ 2012 — सलाहकार चयन हेतु अखबार में निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित की। निविदा के प्रत्युत्तर में भोपाल की 3 फर्मों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। संभवतः एक ही व्यक्ति ने तीनों फर्मों की ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत किए। तीनों आवेदन–पत्रों में लिखावट एक ही व्यक्ति की है।

19 जन॰ 2012 — सोनी एण्ड एसोसिएट्स ने योजना लागत का 2.5% और सिद्धार्थ टेक्नीकल प्रोजेक्ट्स कंसलटेंट्स ने 2% कंसलटेंसी फीस का प्रस्ताव दिया था। नगरपालिका ने अपने संकल्प क्र॰ 107 के माध्यम से सबसे कम 1% की कंसलटेंसी फीस का प्रस्ताव देने वाली वास्तुशिल्पी प्रोजेक्ट एण्ड कंसलटेंट्स प्रा॰ लिमि॰ को सलाहकारी कार्य का ठेका दे दिया। उल्लेखनीय है कि 110 शहरों में 800 करोड़ रूपए की लागत वाली योजनाओं की कंसलटेंसी करने का दावा करने वाली वास्तुशिल्पी फर्म वही है जिसने सरकार से भी 2 सप्ताह पहले नगरपालिका को योजना स्वीकृति की सूचना दी थी।

24 जन॰ 2012 — वास्तुशिल्पी के श्री दीप अग्रवाल एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री कुशलसिंह डोडवे के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित। सहालकारी फर्म वास्तुशिल्पी को कार्यादेश जारी।

9 फर॰ 2012	सलाहकार द्वारा तैयार कार्ययोजना मुख्य अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित। इसी के साथ नगरपालिका का योजना संबंधी संकल्प प्रेषित कर तकनीकी, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रदान करने का निवेदन किया।
27 फर॰ 2012	मुख्य अभियंता को तकनीकी, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु नगरपालिका द्वारा स्मरण–पत्र प्रेषित।
27 फर॰ 2012	कार्ययोजना तैयार करने पर सलाहकार को 1,99,050 रूपए की पहली किश्त (कुल फीस का 10%) का भुगतान। (बिल दिनांक 7 फर॰ 2012)
30 मार्च 2012	सलाहकार की कार्ययोजना नगरपालिका द्वारा स्वीकार करने पर 1,99,050 रूपए की दूसरी किश्त (कुल फीस का 10 प्रतिशत) का भुगतान (बिल दिनांक 19 मार्च 2012)
14 मार्च 2012	मुख्य अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास के पत्र दिनांक 2 जन॰ 2012 के अनुसार आगामी वर्ष के बजट में निकाय के अंशदान (योजना लागत का 20 प्रतिशत) का प्रावधान किए जाने हेतु सीएमओ ने लेखापाल के पत्र लिखा। लेकिन चालू बजट में इसे शामिल नहीं किया गया।
5 अप्रैल 2012	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना स्वीकृत किए जाने का उल्लेख। (सीएमओ का पत्र दिनांक 11 अप्रैल 2012)
11 अप्रैल 2012	सीएमओ ने मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर आश्वासन दिया कि यदि योजना लागत के 20 प्रतिशत अंशदान हेतु कर्ज लिया जाता है तो घरेलू जलदर 200 रूपए/माह एवं गैर घरेलू 400 रूपए/माह कर दी जाएगी। इसी आश्वासन के आधार पर योजना की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वकृति की माँग की गई ताकि योजना की निविदा आमंत्रित की जा सके।
18 मई 2012	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा योजना को तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।
31 मई 2012	योजना की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति मिलने पर कंसलटेंट ने अनुबंध के अनुसार 25% फीस यानी 4 लाख 97 हजार का बिल भेजा। इस भुगतान के लिए फाईल बाबु से लेकर एसडीएम (प्रशासक) तक 6 बार दौड़ी और 4 पृष्ठों की नोटशीट लिखी गई,। फाईल के इतनी भागदौड़ और लिखापढ़ी के बावजूद सलाहकार का भुगतान एक ही दिन में हो गया। केवल इतना ही नहीं, अनुबंध के अनुसार इस समय 15% राशि का ही भुगतान किया जाना था लेकिन 10% (2 लाख रूपए) अधिक भुगतान कर दिया गया।
22 जून 2012	कलेक्टर (बड़वानी) ने मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त को पत्र लिखकर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा 2008 में बनाए गए फिल्टर प्लांट के लिकेज होने, भण्डारण क्षमता कम होने, वितरण लाईनें पुरानी तथा कम साईज की होने का उल्लेख करते हुए 20 करोड़ रूपए की मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का समर्थन किया। पत्र में फिल्टर प्लांट के बंद होने की 'प्रबल' संभावना बताई गई। कलेक्टर ने यह पत्र किस हैसियत से लिखा यह स्पष्ट नहीं है।

25 अग॰ 2012 मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने सलाहकार को पत्र लिखकर योजना के घटकों की विस्तृत डिजाईन उपलब्ध करवाने का लेख किया ताकि योजना के टेण्डर जारी किए जा सके।

25 अक्टू॰ 2012 योजना की निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित। निविदा खोलने की तिथि 30 नवंबर 2012

17 दिस॰ 2012 योजना की निविदा दुबारा विज्ञप्ति प्रकाशित। निविदा खोलने की तिथि 5 जनवरी 2013

स्रोत – नगरपालिका का पत्र–व्यवहार एवं फाईल नोटिंग।

संलग्नक - 2

बड़वानी की वार्डवार जनसंख्या

वार्ड क्र॰	वार्ड का नाम	जनसंख्या (2001)		गरीब प्रतिशत
		कुल	गरीब	
1	राजेन्द्र	1845	655	35.5
2	सरदार पटेल	1871	1781	95.2
3	आशाग्राम	2053	551	26.8
4	शास्त्री	1975	906	45.9
5	महात्मा गाँधी	2018	1903	94.3
6	रणजीत	1765	1527	86.5
7	देवीसिंह	2065	1959	94.9
8	मौलाना आज़ाद	1880	1042	55.4
9	जय स्तंभ	1894	1054	55.6
10	सेगाँव	2013	1102	54.7
11	डॉ॰ अम्बेडकर	1669	894	53.6
12	राईदास	1561	1361	87.2
13	इंदिरा	1546	904	58.5
14	कालिका देवी	1981	1568	79.2
15	डॉ॰ जाकिर हुसैन	1554	1255	80.8
16	जनकेश्वर	1616	1577	97.6
17	दशहरा मैदान	1789	1676	93.7
18	लक्ष्मी टाकीज	1884	1168	62.0
19	सुभाष	1990	1927	96.8
20	जवाहर	1565	1500	95.8
21	महालक्ष्मी	1609	1596	99.2
22	तुलसीदास	1544	789	51.1
23	महावीर	1692	846	50.0
24	भगतसिंह	1853	772	41.7
	योग	**43232**	**30313**	**70.5**

स्रोत – नगर विकास योजना की तालिका क्र॰ - 11.3.1

मुख्यमंत्री शहरी जलप्रदाय योजना एवं UIDSSMT की तुलना

अ॰क्र॰	कार्य विवरण विवरण	लागत (लाख रूपए)	
		UIDSSMT	CMUWSS
1.	नर्मदा पर इंटेकवेल का निर्माण तथा उसमें 115 किलोवॉट की 2 मोटरों की स्थापना (UIDSSMT में 3 मोटरों की स्थापना प्रस्तावित थी।)	26.60	154.40
2.	इंटेकवेल से ट्रीटमेंट प्लांट तक पाईप लाईन डालना	18.28	248.88
3.	ट्रीटमेंट प्लांट से बड़वानी तक पाईप लाईन डालना	60.61	113.08
4.	शहर के अंदर विभिन्न टंकियों तक पाईप लाईन डालना	....	151.45
5.	1000 एवं 500 किलोलीटर क्षमता की आरसीसी टंकियों का निर्माण (UIDSSMT में 2000 किलोलीटर की 3 टंकियाँ प्रस्तावित थी)	100.00	165.00
6.	शहर के वितरण नेटवर्क हेतु लाईन पाईप डालना	181.29	655.82
7.	विद्युत पम्प सहित 13.34 एमएलडी क्षमता के रेपिड ग्रेविटी ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण (UIDSSMT में ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 16 एमएलडी प्रस्तावित थी)	151.50	428.30
8.	इंटेकवेल और ट्रीटमेंट प्लांट पर हाई टेंशन लाईन (2 किमी)	....	15.00
	योग	**538.28**	**1931.92**
	आकस्मिक 3 प्रतिशत	16.14	58.13
	महायोग	**554.42**	**1990.05**

स्रोत - UIDSSMT एवं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल परियोजना (CMUWSS) की विस्तृत परियोजना रपटें